

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर
30वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 22 सितम्बर 2016

अध्यक्ष

रेवन्तराम सिहाग

प्रबन्ध संचालक

एस. एन. पुरोहित

दूरभाष : 2225500 (का.)

2015-16

अंकेक्षक :

एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

पंजीकृत कार्यालय :

श्री गंगानगर रोड, बीकानेर - 334002

तार : उरमूल फ़ैक्स : 0151-2225556

ई-मेल : rcdfbik1.jp1@gmail.com

bikmu-rj@nic.in

आंतरिक अंकेक्षण : 2015-16

माथुर एण्ड कम्पनी, जयपुर

संघ के दुग्ध अवशीतन केन्द्र

1. लूणकरनसर : 01528-222076
2. छत्तरगढ : 01526-242406
3. बज्जू : 01535-232024
4. श्रीडूंगरगढ : 01565-224144
5. खाजूवाला : 01520-233069

परामर्शदाता : एस. एन. पुरोहित

प्रधान सम्पादक : डॉ. सुनील चौपड़ा

सम्पादक : महेश जोशी

हरनाथ सिंह राठौड़

सम्पादन सहयोग : नेमीचन्द खत्री

: सलीम भाटी

आवरण : कल्पना : एस. एन. पुरोहित

: निर्माण : अमित कुमार मोदी

कम्प्यूटर डिजाईनिंग : मनीष कुमार

मुद्रक : मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स

ब्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर

टेली : 0151-2522957

मोबाइल : 9414138557

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सन्देश	
2	अध्यक्षीय उद्बोधन	
3	आमसभा की सूचना	3
4	प्रतिलिपि प्रस्ताव	4
5	गत आमसभा की अनुपालना की पुष्टि	5
6	वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंतिम लेखों के अनुमोदन पर विचार	11
7	वित्तीय बजट 2016-17	13
8	भौतिक विवरण वर्ष 2016-17	16
9	पूंजीगत बजट वर्ष 2016-17	17
10	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट "भाग अ" 2014-2015	18
11	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट "भाग ब" 2014-2015	43
12	अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चों के अनुमोदन पर विचार 2015-16	50
13	वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2016-2017 की नियुक्ति पर विचार	50
14	आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति व पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार	51
15	विज्ञापन	52
16	वार्षिक कार्य योजना 2016-17	72



उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर

श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर

(An ISO 22000 : 2005 Certified Organisation)

क्रमांक : उरमूल/आमसभा (30)/2016/8870-78

दिनांक 01.09.2016

आमसभा की सूचना

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

समस्त सदस्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.,

तहसील-बीकानेर/लूणकरणसर/कोलायत/नोखा/श्रीडूंगरगढ/खाजूवाला/छतरगढ/पूगल


उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संघ की 30 वीं वार्षिक आमसभा वर्ष 2015-16 की बैठक का आयोजन दिनांक 22-09-2016 को वार गुरुवार समय प्रातः 11:15 बजे वेटेनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में करणी सिंह सर्किल के पास बीकानेर में किया जावेगा बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थित सादर प्रार्थनीय है।

बैठक में निम्नांकित विचारणीय विषयो पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जावेंगे।

विचारणीय विषय(ऐजेंडा)

1. संघ की गत आमसभा दिनांक 04.11.2015 की कार्यवाही एवं अनुपालना की पुष्टि।
2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।
3. संघ के वर्ष 2015-16 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चों के अनुमोदन पर विचार।
4. संघ के वर्ष 2016-17 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।
5. संघ के वर्ष 2014-15 की अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।
6. वर्ष 2015-16 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चों के अनुमोदन पर विचार।
7. संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2016-17 की नियुक्ति एवं अनुमोदन पर विचार।
8. संघ में दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।
9. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

- नोट:-
1. यदि निर्धारित समय पर कोरम पूर्ण नहीं हुआ तो स्थगित आमसभा उस दिन उसी स्थान पर एक घंटे पश्चात् होगी।
 2. आम सभा में सदस्य समिति के अध्यक्ष ही भाग ले सकते हैं, जो अपना प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण कर साथ में लायेंगे।
 3. यदि कोई सदस्य समिति, संघ/दुग्ध समितियों के हित में कोई सुझाव देना चाहती है तो दिनांक : 10.09.2016 तक सम्बन्धित इकाई के प्रभारी/परियोजना अधिकारी को लिखित में प्रेषित कर सकती है।


1.9.16
(एस.एन. पुरोहित)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि प्रस्ताव

रजिस्ट्रेशन क्रमांक

दिनांक

आज दिनांक को दुग्ध उत्पादक

सहकारी समिति लिमिटेड की

प्रबन्धकारिणी की बैठक दिन के बजे

..... स्थान पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता

मे हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव

1. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 30वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 22 सितम्बर 2016 में अध्यक्ष को भेजने व हस्ताक्षर प्रमाणित करने पर विचार

प्रमाणित

सहायक परियोजना - अधिकारी /निरीक्षक
सहकारिता/डेयरी-सुपरवाइजर/ग्राम प्रसार कार्यकर्ता
कार्यकर्ता ग्रेड प्रथम

निर्णय

1. सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 30वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 22 सितम्बर 2016 में इस समिति का प्रतिनिधत्व करने हेतु श्री पद अध्यक्ष के नमूना हस्ताक्षर निम्न प्रकार है।

नमूना हस्ताक्षर

(यहां समिति की मोहर लगायें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव समिति की कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ संख्या पर अंकित है। कार्यवाही रजिस्टर समिति में सुरक्षित है।

व्यवस्थापक

अध्यक्ष

नोट : इस प्रस्ताव की एक प्रति बैठक से तीन दिन पूर्व संघ कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिये।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बीकानेर

अनुपालना प्रतिवेदन संघ की 29 वीं वार्षिक आमसभा की बैठक दिनांक 04.11.2015

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
एजेण्डा 29.1 संघ की गत आमसभा दिनांक: 25.09.2014 की कार्यवाही एवं अनुपालना की पुष्टि।	निर्णय :- गत आमसभा बैठक दिनांक 25.09.2014 की कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं निर्णयों व अनुपालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 29.2 वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ के वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तिम लेखे सदन के पटल पर रखे गये, विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से प्रस्ताव/अन्तिम लेखों का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 29.3 संघ के वर्ष 2014-15 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चों के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- सदन में संघ के वित्तीय वर्ष 2014-15 की वित्तीय बजट राशि का वास्तविक आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से स्वीकृत बजट से अधिक हुए व्यय खर्चों का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 29.4 संघ के वर्ष 2015-16 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ का वर्ष 2015-16 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट सदन के पटल पर रखा गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट का अनुमोदन किया गया।	पालना पूर्ण हुई
एजेण्डा 29.5 संघ के वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ का वर्ष 2013-14 का अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग “अ” व “ब” की अनुपालना रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, विचार-विमर्श के पश्चात् अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग “अ” के पैरा संख्या 19 एवं 24 के संबंध में धारा 55 की जांच शीघ्र करवाये जाने बाबत् संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर को निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया। संघ के वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग “अ” के पैरा संख्या 22 में तदर्थ पदोन्नति के संबंध में अंकेक्षक महोदय की टिप्पणी “पूर्ति उचित नहीं वसूली वांछित है” के संबंध में चर्चा के दौरान बंधाला समिति के अध्यक्ष श्री हेतराम विशनोई द्वारा प्रश्न उठाया गया कि उक्त वसूली क्यों नहीं की गई? प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि संघ के संचालक मण्डल की 194 वीं बैठक में संचालक मण्डल	संस्थागत विकास अधिकारी, आर सीडीएफ को अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग “अ” के पैरा संख्या 19 व 24 के संबंध में धारा 55 की जांच रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने एवं तदर्थ पदोन्नति कार्मिकों की वेतन वसूली का निर्वारण शीघ्र अतिशीघ्र किये जाने हेतु पत्र क्रमांक: 13420 दिनांक 26.11.2015 को लिखकर निवेदन किया गया। इसके पश्चात पत्र क्रमांक : 16618 दिनांक 08.02.2016 एवं 18920 दिनांक

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना																					
	<p>द्वारा निर्णय लिया गया है कि चूंकि उक्त तदर्थ पदोन्नत कार्मिकों द्वारा तदर्थ पदोन्नति पद की योग्यताएँ पूर्ण करते हुए उक्त पदों पर कार्य किया है। अतः उक्त अवधि के वेतन की वसूली नहीं की जावे। इस पर श्री हेतराम द्वारा सदन में उपस्थित अतिरिक्त रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया कि क्या संचालक मण्डल को इस प्रकार का निर्णय लिया जाने का अधिकार है? इस पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण विस्तृत विवरण सहित अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बीकानेर को भेजने एवं संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ के स्तर पर भिजवाया जाकर उनके निर्णयानुसार पालना की जावे। तब तक संचालक मण्डल के निर्णय का क्रियान्वयन रोका जावे।</p> <p>इसके पश्चात् वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन भाग “अ” व “ब” का सर्व-सम्मति से अनुपालना प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।</p>	<p>28.03.16 को पुनः पत्र लिखकर अतिशीघ्र निर्णय दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। इसी दौरान उक्त प्रकरण पर श्री भरत सिंह, सहायक प्रबंधक (संयंत्र) एवं श्री हरध्यान सिंह, सहायक प्रबंधक (लेखा) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में वाद दायर कर दिया गया। जिसकी सूचना श्रीमान् आई.डी.ओ., आरसीडीएफ को दी गई, जिसके प्रत्युत्तर में आई.डी.ओ. द्वारा पत्र क्रमांक : 9877 दिनांक 02.06.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार पालना की जावे।</p>																					
<p>एजेण्डा 29.6 संघ के अध्यक्ष का निर्वाचन अगस्त, 2010 में हुआ जिसमें श्री हरजीराम जाखड़ संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्रीमान् अध्यक्ष, संचालक मण्डल एवं आमसभा का खर्च विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्न प्रकार से है :-</p> <table border="1" data-bbox="222 1476 777 1801"> <thead> <tr> <th>क्र.सं</th> <th>खर्च मद</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>अनुबन्धित वाहन अध्यक्ष के लिए</td> <td>319780.00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>टेलीफोन/मोबाईल</td> <td>12320.00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>संचालक मण्डल बैठक खर्च</td> <td>69246.00</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>आमसभा दिनांक 25.09.2014 का कुल खर्च</td> <td>307229.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>घटाये-विज्ञापन प्राप्ति</td> <td>127200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>शेष खर्च</td> <td>180029.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्तानुसार खर्च राशि का प्रस्ताव आमसभा के समक्ष पुष्टि/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</p>	क्र.सं	खर्च मद	राशि	01	अनुबन्धित वाहन अध्यक्ष के लिए	319780.00	02	टेलीफोन/मोबाईल	12320.00	03	संचालक मण्डल बैठक खर्च	69246.00	04	आमसभा दिनांक 25.09.2014 का कुल खर्च	307229.00		घटाये-विज्ञापन प्राप्ति	127200.00		शेष खर्च	180029.00	<p>निर्णय :- सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय एवं संचालक मण्डल के खर्चों का अनुमोदन किया गया।</p>	<p>कार्यवाही अपेक्षित नहीं</p>
क्र.सं	खर्च मद	राशि																					
01	अनुबन्धित वाहन अध्यक्ष के लिए	319780.00																					
02	टेलीफोन/मोबाईल	12320.00																					
03	संचालक मण्डल बैठक खर्च	69246.00																					
04	आमसभा दिनांक 25.09.2014 का कुल खर्च	307229.00																					
	घटाये-विज्ञापन प्राप्ति	127200.00																					
	शेष खर्च	180029.00																					

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
<p>एजेण्डा 29.7 संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2015-16 की नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।</p> <p>रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28.05.2013 अनुसार सोसायटियों द्वारा लेखा परिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया, लेखा परिक्षक पारिश्रमिक के निर्धारण तथा सोसायटियों की गत वर्षों की बकाया लेखा परिक्षा के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। आरसीडीएफ लि0, जयपुर के पत्र क्रमांक : आरसीडीएफ/सैं.ओ.ए.एमयू/13/9642-63 दिनांक 31.05.2013 एवं पत्र क्रमांक : 6916-38 दिनांक 12.07.2013 में दिये गये निर्देशानुसार रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के निर्धारित पैनल में से एक संक्षिप्त पैनल बनाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 14.10.2015 में अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के पैनल में से तीन फर्मों का संक्षिप्त पैनल तैयार किया गया, जो निम्न प्रकार से है :-</p> <p>1- M/S S.B. Bagri & Co. E-25, Khajanchi Market, Ist Floor, K.E.M. Road, Bikaner-334001</p> <p>2- M/S Jaya & Associates Rampura Mohlla, Bikaner-334005</p> <p>3- M/S K.A. & Co. S-4, Shyam G.H.P. enclave, J-40, Krashna Marg, C-Schem, Jaipur-302001</p> <p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक को पारिश्रमिक वित्तीय सलाहकार आरसीडीएफ लि0, जयपुर के पत्रांक : एफ.-2/आरसीडीएफ/(सं.अं.एम.यू.)13/16302-21 दिनांक 10.07.2013 के अनुसार तय किया जाना है। आरसीडीएफ लि0, जयपुर द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक वार्षिक टर्न ऑवर 5 करोड़ से अधिक होने पर संवैधानिक अंकेक्षक की फीस 17365/- रूपये एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 17360/- रूपये अधिकतम हैं।</p> <p>अतः नियुक्ति संवैधानिक अंकेक्षक की फीस 17365/- रूपये एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 17360/- रूपये अधिकतम दिये जा सकते हैं। उपरोक्त संक्षिप्त पैनल में से एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म को वित्तीय वर्ष 2015-16</p>	<p>निर्णय :- विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित संक्षिप्त पैनल में से क्रम संख्या 1 की फर्म M/S S.B. Bagri & Co. E-25, Khajanchi Market, Ist Floor, K.E.M. Road, Bikaner-334001 को वर्ष 2015-16 के लिए संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही आरसीडीएफ के निर्देशानुसार अंकेक्षण फीस 17365/- रूपये एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 17360/- रूपये की फीस निर्धारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	<p>कार्यालय आदेश क्रमांक : उमूल / वै. अं. (सं. अ.) / 2016- 17/ 2016/ 19127 - 50 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा मैसर्स बागड़ी एण्ड कम्पनी, को संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया। पालना पूर्ण हुई।</p>

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
<p>का संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किये जाने एवं उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक तय किये जाने हेतु प्रस्ताव आमसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>		
<p>एजेण्डा 29.8 संघ में दिनांक 01.07.2015 से दिनांक 30.06.2016 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।</p> <p>संघ में कार्यरत आन्तरिक अंकेक्षक मैसर्स थानवी एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म (सनदी लेखाकार) का कार्यकाल दिनांक 30.06.2015 को समाप्त हो गया। आन्तरिक अंकेक्षक (सनदी लेखाकार) फर्म की नियुक्ति के लिए आरसीडीएफ लि., जयपुर से मार्गदर्शन मांगा गया (संलग्न-1)</p> <p>आरसीडीएफ लि., जयपुर के द्वारा निर्धारित सनदी लेखाकार चैनल में से एक संक्षिप्त दस सनदी लेखाकारों की सूची तैयार कर वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ लि., जयपुर को स्वीकृति हेतु अनुमोदन हेतु भेजी गयी (संलग्न-2) वित्तीय सलाहकार, आरसीडीएफ लि., जयपुर से अनुमोदन (संलग्न-3) प्राप्त होने के पश्चात् आरसीडीएफ लि., जयपुर के निर्देशानुसार संघ के आन्तरिक अंकेक्षक वर्ष 2015-16 (दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक) नियुक्त किये जाने के लिए आरसीडीएफ से प्राप्त निर्देशों की पालना में कमेटी का गठन निम्न प्रकार से किया गया (संलग्न-4) :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री एल.के. जैन, प्रबंध संचालक, उरमूल, बीकानेर। 2. श्री आर.के. महेश्वरी, सहायक लेखाधिकारी, द्वितीय प्रतिनिधि वित्तीय सलाहकार, आर सी डी एफ लि., जयपुर। 3. डा. एस.के. चौपड़ा, उप-प्रबंधक (पीएण्डए), उरमूल, बीकानेर। 4. श्री महेश कुमार जोशी, उप-प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), उरमूल, बीकानेर। <p>उपरोक्त कमेटी द्वारा उपस्थित सनदी लेखाकारों के अनुभव एवं उनके द्वारा प्रदत्त सर्विस के आधार पर साक्षात्कार लिया जाकर, चयन अनुशंसा के आधार पर सनदी लेखाकार को एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। (संलग्न-5) एक वर्ष के लिए और अवधि बढ़ाई जा सकती है।</p>	<p>निर्णय :- विचार-विमर्श के उपरान्त संघ में दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक के लिए मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, 110-112, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर- 302006 को आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण के कार्यालय आदेश क्रमांक : उरमूल डेयरी/आ.अं.(15-16)/2015/4870 दिनांक 19.06.2015 कि स्वीकृति/पुष्टि की गई।</p>	<p>पालना पूर्ण हुई।</p>

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
<p>उपरोक्त प्रक्रिया अन्तर्गत आदेश क्रमांक : उरमूल डेयरी/आ. अं.(15-16)/2015/4870 दिनांक 19.06.2015 के द्वारा मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, 110-112, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर- 302006 को दिनांक 01.07.2015 से 30.06.2016 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। (संलग्न-6) इनका पारिश्रमिक राशि 15,000/- रूपये + सर्विस टैक्स प्रतिमाह दिया जावेगा। पारिश्रमिक का निर्धारण आरसीडीएफ लि0, जयपुर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तय किया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त आदेशों का अनुमोदन एवं पुष्टि हेतु प्रस्ताव आमसभा के समक्ष प्रस्तुत है।</p>		
<p>एजेण्डा 29.9 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।</p> <p>एजेण्डा 29.9 (1) बंधाला समिति के अध्यक्ष श्री हेतराम विश्नोई द्वारा डॉक स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था में सुधार करने एवं संघ द्वारा समितियों को दिये गये ए.एम.सी.एस. की 50 प्रतिशत से अधिक राशि की वसूली समितियों से नहीं किये जाने का सुझाव प्रस्तुत किया।</p>	<p>निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि आवश्यक कार्यवाही कर डॉक स्तर पर टेस्टिंग व्यवस्था में सुधार किया जावेगा।</p> <p>समितियों को ए.एम.सी.एस. वर्ष 2001-02 में उपलब्ध करवाई गई थी। योजना अनुसार ए.एम.सी.एस. की कुल राशि का 60 प्रतिशत भुगतान समितियों को व 40 प्रतिशत अनुदान था, जो संघ द्वारा वहन की गई है। किसी भी समिति से ए.एम.सी.एस. की 60 प्रतिशत राशि से अधिक की कटौती नहीं की गई है।</p>	<p>प्रबंध संचालक द्वारा डेयरी डॉक, बीकानेर व लैब स्टाफ को टेस्टिंग व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु दिशा-निर्देश प्रदान कर पालना पूर्ण की गई।</p> <p>दुग्ध समितियों से ए.एम.सी.एस. की कटौती योजना के नियमानुसार (60%) ही की गई है। अतः कार्यवाही अपेक्षित नहीं।</p>
<p>एजेण्डा 29.9 (2) खीचड़ों की ढाणी समिति के अध्यक्ष श्री हुकमाराम विश्नोई द्वारा पशु-आहार की दरें कम करने एवं दुग्ध खरीद मूल्य में वृद्धि किये जाने की मांग की गई।</p>	<p>निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि पशु-आहार की दरें आरसीडीएफ लि0, जयपुर के स्तर से घटाई-बढ़ाई जाती है। अतः सदन की भावना से आरसीडीएफ को अवगत करवाया जावेगा।</p> <p>प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि सदन की भावना के मध्यनजर दुग्ध खरीद मूल्य में 1/- रूपये प्रतिलीटर की बढ़ौतरी दिनांक 11.11.2015 से किये जाने का प्रस्ताव आरसीडीएफ लि0, जयपुर को भिजवाया जावेगा, स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त बढ़ौतरी लागू किये जाने का निर्णय किया गया।</p>	<p>श्रीमान् महाप्रबंधक (कृ.सं. एवं प.पा.), आरसीडी एफ को सदन की भावना के मध्यनजर पशु-आहार की दरें कम करने हेतु पत्र क्रमांक : उरमूल/पीएण्ड आई/ 2015-16/13332-33 दिनांक 23.11.2015 प्रेषित किया गया।</p> <p>संघ की 29 वीं आमसभा के एजेण्डा व निर्णय संख्या 29.9 (2) की पालना में दिनांक 11.11.2015 से दुग्ध</p>

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
		<p>खरीद मूल्य में 1/- रु. प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि करते हुए 4.5 फ़ैट व 8.50 एस.एन.एफ. पर दर 22.75 रूपये प्रति कि.ग्रा. के स्थान पर 23.75 रूपये प्रति कि.ग्रा. की गई। पालना पूर्ण हुई।</p>
<p>एजेण्डा 29.9 (3) राणीसर समिति के अध्यक्ष श्री गंगाराम द्वारा “बी” श्रेणी के बीकानेर शहरी क्षेत्र से प्राईवेट डेयरियों/पशुओं को शहरी सीमा से हटाये जाने/डेयरी संयंत्र, बीकानेर के पाउडर प्लान्ट भवन से आबकारी विभाग का कब्जा हटाने एवं उपस्थित सभी दुग्ध उत्पादकों को प्राईवेट डेयरियों को दूध नहीं देने एवं उरमूल संघ को समिति स्तर से मिलावटी दूध नहीं भेजे जाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया कि बीकानेर शहर वर्तमान में “बी” श्रेणी का शहर है तथा नियमानुसार प्रशासन द्वारा प्राईवेट डेयरियों जो शहरी सीमा क्षेत्र के अन्दर पशुधन रखकर दुग्ध बिक्री का कार्य कर रहे हैं को नगर निगम सीमा के क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करवाया जाना चाहिए। इस बाबत माननीय जिलाधीश महोदय, अध्यक्ष एवं आयुक्त नगर निगम, बीकानेर को पत्र लिखा जावेगा तथा आरसीडीएफ प्रबंधन के माध्यम से राज्य सरकार के स्तर पर भी पत्र व्यवहार कर प्रयास किया जावेगा।</p> <p>प्रबंध संचालक ने अवगत करवाया कि डेयरी संयंत्र, बीकानेर के पाउडर प्लान्ट भवन जो आबकारी विभाग को किराये पर दिया गया है, खाली करवाये जाने बाबत बार-बार पत्र लिखे जा रहे हैं, परन्तु आबकारी विभाग द्वारा उक्त भवन खाली नहीं किया जा रहा है।</p> <p>सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि इस बाबत पुनः पत्र व्यवहार कर भवन खाली करवाया जावे, अन्यथा पशु पालकों द्वारा स्वयं धरना देकर आबकारी विभाग की गाड़ियों को रोके जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सदन की भावना से आबकारी विभाग एवं जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>कार्यालय आदेश क्रमांक : उरमूल/संस्था/2015-16/13429-32 दिनांक 26.11.15 के अनुसार श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, बीकानेर को पत्र लिखकर निगम क्षेत्र में चल रही प्राईवेट दुग्ध डेयरियों को निगम क्षेत्र से हटवाने हेतु निवेदन किया गया। पत्र की प्रतिलिपि श्रीमान् जिलाधीश महोदय, आयुक्त नगर निगम एवं श्रीमान् महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन), आरसीडीएफ लि., जयपुर को प्रेषित की गई।</p> <p>आबकारी विभाग के डिपो प्रबंधक के द्वारा दिनांक 30.06.2016 को पत्र लिखकर संयंत्र परिसर खाली कर संघ को सूचित किया गया है।</p>
<p>एजेण्डा 29.9 (4) स्वरूपनगर समिति के अध्यक्ष श्री मिठ्ठुराम द्वारा अनुबंधित वाहन के स्थान पर संघ स्तर पर वाहन खरीद कर अध्यक्ष को उपलब्ध करवाये जाने का सुझाव दिया गया।</p>	<p>निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि इस बाबत गत संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। अतः संचालक मण्डल के निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>कार्यवाही अपेक्षित नहीं</p>

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
सन्तुलन चित्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	वर्ष 2015-16	
1. कोषों के स्रोत :		
1. पूंजी खाता		5,83,16,577.36
2. ऋण दायित्व		21,43,72,350.08
3. चालू दायित्व		22,18,76,155.85
4. लाभ-हानि खाता		(-)30,59,48,551.01
प्रारम्भिक शेष	(-) 31,61,25,678.29	
चालू अवधि	1,01,77,127.28	
योग		18,86,16,532.28
2. कोषों के विनोयजन :		
1. स्थायी सम्पतियाँ		2,54,58,613.20
2. विनियोजन		2,76,38,149.77
3. चालू सम्पतियाँ		13,55,19,769.31
योग		18,86,16,532.28

ह. / -
उप-प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के दिनांक 31.03.2016 के संतुलन चित्र, वर्ष के लाभ-हानि खाते की जांच कर ली है तथा हमारी सम्पति में अतिरिक्त इसके कि जिसका उल्लेख पृथक रूप से मूल ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, कथित संतुलन चित्र, लाभ-हानि खाता एवं हमको दी गई सूचनाएं, उत्तर तथा संघ की किताब व वाउचर के अनुसार संघ के करोबार की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

ह. / -
लेखा परीक्षक,
उरमूल, बीकानेर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वर्ष 2015-2016 की वित्तीय बजट राशि का आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा

(1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक)

(संक्षिप्त लाभ-हानि खाता)

(राशि हजारों में)

विवरण	वर्ष 2015-16	
	वित्तीय बजट राशि	वास्तविक आय / व्यय
1. आय मद		
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	15,21,542	12,30,154
पशुआहार बिक्री	2,23,686	1,30,889
अन्य आय	3,283	14,120
कुल योग	17,48,511	13,75,163
व्यय मद :		
1. सामग्री का उपयोग :		
2. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद खरीद	9,48,315	8,40,064
3. वेतन एवं मजदूरी	1,37,105	1,38,635
4. उत्पादन व्यय	3,45,311	1,96,072
5. उत्पादित माल की कीमत (2 से 4 तक का योग)	14,30,731	11,74,771
6. पशुआहार एवं चारे की लागत	2,21,775	1,29,630
7. बेचे गये माल की लागत (5 से 6 तक का योग)	16,52,506	13,04,401
8. सकल लाभ (क्र.सं. 1-7)	96,005	70,762
9. बिक्री एवं वितरण	65,820	39,112
10. प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	21,294	17,132
11. आधिक्य / कमी (क्र.सं. 8-9-10)	8,891	14,518
12. अवधि ऋण एवं अधिविकर्ष पर ब्याज	3,000	792
13. घिसावट	3,600	3,549
14. शुद्ध लाभ / हानि (क्र.सं. 11-12-13)	2,291	10,177

टिप्पणी :

1. वित्तीय बजट एवं वास्तविक आय का आवश्यकतानुसार समूहिकरण किया गया है।
2. व्यय मद :- वेतन एवं मजदूरी में स्वीकृत बजट से अधिक खर्च हुआ है, कि स्वीकृति प्रस्तावित है।

ह. / -
उप-प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2016-17

राशि 000 रूपयों में

विवरण	बजट 2016-17
(ए) राजस्व :	
डबल टोड मिल्क	16009
टोंड मिल्क	315816
स्टैंडर्ड मिल्क	147314
जयपुर पैक मिल्क	386053
एनएमजी बल्क	—
दुग्ध उत्पाद	
घी	311041
एसएमपी	155272
टेबल बटर	8154
पनीर	34302
लस्सी	6624
छाछ	30139
दही	9274
चीज	12655
रसगुल्ला	4429
गुलाबजामुन	1886
पलेवर्ड मिल्क	1890
श्रीखण्ड	841
मिनरल मिक्सचर	102
यू.एम.बी.	—
पशु आहार बिक्री	183158
विविध आय	4740
कुल राजस्व ए	1629698
(बी) क्रय लागत	
समितियों से दुग्ध संकलन	865691

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2016-17

राशि (हजारों में)

विवरण	बजट 2016-17
व्हाइट बटर क्रय	25142
एसएमपी क्रय	—
टेबल बटर	7827
रसगुल्ला	2910
गुलाबजामुन	1356
पलेवर्ड मिल्क	1827
मिनरल मिक्सचर	95
यू.एम.बी.	—
पशु आहार क्रय	181611
कुल क्रय लागत बी	1086457
(सी) शुद्ध मार्जिन ए-बी	543241
(डी) परिवर्तनशील लागत	
दुग्ध संकलन परिवहन व्यय	122487
समितियों का ओवरहेड	22891
बी.एम.सी खर्च	4599
ईंधन	33600
बिजली	25680
रसायन	1632
टैंकर रिपेयर एवं ईंधन/अनुबन्धित टैंकर	9000
लेबर	18000
अन्य प्रोसेस	25311
पैकिंग चार्ज	
दुग्ध	20510
घी	5876
एसएमपी	1525
अन्य पैकिंग चार्ज	6316

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2016-17

राशि (हजारों में)

विवरण	बजट 2016-17
एनएमजी परिवहन	—
आरएमजी परिवहन (पैकड)	21637
आरएमजी जॉब वर्क परिवहन	29496
सिटी सप्लाई परिवहन खर्च	9326
आरसीडीएफ सेस	8074
सब टोटल (सी)	365961
(ई) कन्ट्रूब्यूशन (सी-डी)	177279
स्थायी व्यय	
वेतन एवं अन्य परिलाभ	142006
मरम्मत एवं रखरखाव संयंत्र	6000
मरम्मत एवं रखरखाव भवन	2100
ट्रेवलिंग एण्ड कनवेन्स	876
वाहन खर्च	2400
बीमा	516
विज्ञापन एवं सेल्स प्रमोशन	1000
कार्यालय व्यय	14166
अन्य विविध स्थायी खर्च	600
कुल स्थायी लागत (एफ)	169664
योजनाअन्तर्गत आधिक्य/घाटा(+/-) टीआईपी (जी)	—
ब्याज एवं घिसावट से पूर्व लाभ (एच)(ई-एफ-जी)	7615
(आई) कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरसीडीएफ)	1500
(जे) नकद लाभ (एच-आई)	6115
घीसावट (के)	3600
शुद्ध लाभ (जे-के)	2515

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

भौतिक विवरण वर्ष 2016-17

ek-k gtkj fdjks@yNj

विवरण	2016-17
दुग्ध संकलन(हजार किलो प्रतिदिन)	110
दुग्ध संकलन/क्रय	
समितियों से दुग्ध संकलन	40160
व्हाइट बटर क्रय	100
एसएमपी क्रय	—
टेबलबटर	24
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	1
यू एम. बी. (संख्या में)	—
पशुआहार	11050
स्वयं का उत्पादन	
घी	859
एसएमपी	913
पनीर	135
लस्सी	150
छाछ	1170
दही	168
चीज	39
श्रीखण्ड	6
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	
तरल दूध (लीटर में)	
डबल टॉड	548
टोड	9125
स्टेण्डर्ड	3650
जयपुर पैकड	11388
उत्पाद बिक्री (000 किलो)	
घी	859
एसएमपी	913
टेबल बटर	24
पनीर	135
लस्सी	150
छाछ	1170
दही	168
चीज	39
श्रीखण्ड	6
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	1
यू एम. बी. (संख्या में)	—
पशुआहार बिक्री	11050

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

पूँजीगत बजट वर्ष 2016-17

(राशि लाखों में)

भाग	क्रं.सं.	आईटम का नाम	मात्रा	अनुमानित मूल्य	आवश्यकता की जगह	रिमार्क
अ	1	मिस्को सीन	2	7.50	डेयरी संयंत्र	
	2	पी.एच.मीटर	1	1.50	डेयरी संयंत्र	
	3	पोर्टेसियो मीटर	1	3.50	डेयरी संयंत्र	
	4	कन्टयूनीस बटर मेकिंग मशीन	1	35.00	डेयरी संयंत्र	
	5	घी क्लेरिफायर (2 मैट्रिक टन)	1	10.00	डेयरी संयंत्र	
	6	मिल्क साइलो (30 के.एल.)	1	17.00	डेयरी संयंत्र	
	7	बॉयलर विद चिमनी (5 टन)	1	80.00	डेयरी संयंत्र	
	8	प्लास्टिक/बूडन पेलेटस	100	4.00	डेयरी संयंत्र	
	9	वर्टीकल मिल्क टैंक (15 के.एल.)	2	15.00	डेयरी संयंत्र	
ब	1	मॉशचर एनालाईजर, ब्रस्टिंग स्ट्रेन्थ मशीन 0-35 किग्रा प्रेशर, ऑटोमैटिक बी.आर. मीटर, मिल्क एडलट्रेशन टिमोफर, ई.एम. ए.टी., हाट एयर ओवन (डिजिटल), कॉलोनी काउंटर, वैक्यूम पैक मशीन, सिंक व्राप मशीन, फाईबर/मैटल कूलर, एयर कंडीशनर, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू.पी.एस., स्कैनर, कुर्सी, टेबल, आयरन रैक, प्लास्टिक स्टूल, प्रभारी कुर्सी, कम्प्यूटर टेबल, स्टील स्टूल विद बैकसीट, एक्वागार्ड, फ्रीज, वेडिंग स्कैल, गैस रेग्युलेटर, करेन्सी नोट मशीन, स्मॉल टूल्स एवं टैक्लस, ऑनलाईन कॉर्डिंग मशीन, रोटो पम्प विद गेयर फॉर खोवा मशीन, विभिन्न प्रकार की मोटर जैसे बटर चर्न मोटर, सप्लाइ फैन मोटर, एग्जास्ट फैन मोटर, अमोनिया कम्प्रेसर मोटर, कॅरेट कन्वेयर मोटर, कॅरेट कन्वेयर विद गैयर बॉक्स एवं विभिन्न प्रकार के पूँजीगत सामान		20.00	विभिन्न विभागों की मांग के अनुरूप उक्त खरीद की जानी है।	
		कुल लागत भाग- अ व ब		193.50		

नोट :- संघ के लाभ से अधिक का पूँजीगत बजट है वर्ष 2016-17 में (भाग अ के क्रम संख्या 1 से 9 तक) लाभ से अधिक का राजस्व/राशि राजकीय अनुदान/सहायता स्कीम से प्राप्त की जावेगी। भाग ब 1 पूँजीगत बजट 20 लाख की जगह 15 लाख का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

विचारणीय विषय एजेण्डा

6. वर्ष 2015-16 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चों के अनुमोदन पर विचार ।

क्र.सं.	खर्च मद	राशि
1	अनुबंधित वाहन अध्यक्ष के लिए	2,19,180.00
2	टेलीफोन/मोबाईल	9,377.00
3	यात्रा भत्ता	4,600.00
4	संचालक मण्डल बैठक खर्च	1,07,697.00
5	आमसभा दिनांक 04.11.2015 का	1,19,213.00
	कुल खर्च	3,48,613.00
	(-) विज्ञापन प्राप्ति	-2,29,400.00
	शेष खर्च	1,19,213.00

उपरोक्तानुसार खर्च राशि का प्रस्ताव आमसभा के समक्ष पुष्टि/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

7. संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2016-17 की नियुक्ति पर विचार

रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 28-5-2013 अनुसार सोसायटियों द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया, लेखा परीक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण तथा सोसायटियों की गत वर्षों की बकाया लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। आरसीडीएफ लि. जयपुर पत्र क्रमांक आरसीडीएफ/सैं.ओ. ए.एमयू/13/9642-63 दिनांक 31-5-2013 एवं पत्र क्रमांक 6919-38 दिनांक 12-7-2013 में दिए निर्देशानुसार रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के निर्धारित पैनल में से एक संक्षिप्त पैनल बनाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने संचालक मण्डल बैठक दिनांक 18-07-2016 में अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों के पैनल में से तीन फर्मों का संक्षिप्त पैनल तैयार किया जो निम्न प्रकार से है :

1. M/s Abhishek Sharma & Co.
(130) D-173, Jagaraj Marg, Bapu Nagar, Jaipur
2. M/s Jaya & Associates
(110) Rampuria Mohalla, Bikaner - 334005
3. M/s Sabir & Co.
(88), F-17-18, Bothra Complex, Morden Market, Alakh Sagar Road, Bikaner-334001

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक को पारिश्रमिक वित्तीय सलाहकार आरसीडीएफ लि., जयपुर के पत्रांक एफ-2/आरसीडीएफ/(सं.अ.एम.यु) 2016/17154-178 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार तय किया जाना है। आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक टर्न ओवर 100 करोड़ से 299 करोड़ के मध्य होने पर संवैधानिक अंकेक्षक की फीस "सी" श्रेणी में 25000/- रू. एवं यात्रा भत्ता एवं पॉकेट एलाउन्स के रूप में 25000/- रू. अधिकतम है।

अतः नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक की अंकेक्षण फीस 25000/- रू. एवं यात्रा भत्ता एवं पॉकेट एलाउन्स के रूप में 25000/- रुपये दिये जा सकते हैं। इस संक्षिप्त पैनल में से एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म को वित्तीय वर्ष 2016-17 का संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाने एवं उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक तय किये जाने हेतु आम-सभा के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक पर विचार ।

कार्यालय आदेश क्रमांक : उरमूल डेयरी / आ.अं.(15-16) / 2015 / 4870 दिनांक 19.06.2015 तथा आदेश क्रमांक : 10068-69 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 110-112, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर-302006 को अवधि 01.07.2015 से 30.06.2016 तक के लिए संघ में आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था ।

इनकी सेवाएँ संतोषजनक पाये जाने पर आरसीडीएफ से प्राप्त पत्र क्रमांक : एफ. 2 / आरसीडीएफ / एमयूआईए(ए) / 2016 / 4553-61 दिनांक 04.06.2016 में प्राप्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का कार्यकाल आगामी एक वर्ष दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए विगत वर्ष की भांति पारिश्रमिक प्रतिमाह ₹ 15000 + सर्विस टैक्स ही रखा जाकर बढ़ाया गया है ।

उपरोक्तानुसार मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 110-112, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर-302006 का कार्यकाल दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए बढ़ाये जाने के कार्यालय आदेश क्रमांक : 3643 दिनांक 31.05.2016 का संचालक मण्डल की 197 वीं बैठक दिनांक 18.07.2016 के एजेण्डा व निर्णय संख्या 197(7) के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है । प्रस्ताव आमसभा के समक्ष अनुमोदन / पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

उरमूल, बीकानेर

वार्षिक कार्य योजना 2016-17

क्र.	विवरण	इकाई	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल/औसत
अ)	कृ.सं. गतिविधियां														
1	औसत दुग्ध संकलन	000किग्रा.प्रदि	147	115	114	97	94	92	89	92	114	109	114	144	110
2	पुनर्जीवित समितियां	संख्या	16	16	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	186
3	नयी समिति गठन	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	140
	कुल कार्यशील समितियां (पी-375)	संख्या	394	413	431	449	467	485	503	521	541	561	581	601	601
4	गावो की संख्या जहां समिति गठन की गई	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40
5	नये सदस्य	संख्या	217	217	217	217	217	217	217	217	237	237	237	237	2684
6	नई प्रस्तावित दुग्ध समिति गठन	संख्या	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
7	महिला समिति	संख्या	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2	20
8	महिला समिति पर सदस्य संख्या	संख्या	70	70	70	70	70	30	30	70	70	70	70	70	760
9	असदस्यों को सक्रिय बनाना	संख्या	547	547	547	547	547	547	547	547	547	550	547	547	6567
10	नये सदस्य जोड़ना	संख्या	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
	कुल दुग्ध देने वाले सदस्य (पी-6617)	संख्या	7381	8145	8909	9673	10437	11201	11965	12729	13513	14300	15084	15868	15868
ब)	उत्पादकता वृद्धि														
11	चारा बीज वितरण	क्विंटल	40	40	40	40	40	40	40				40	40	360
12	टीकाकरण	संख्या	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
13	डीवारमिंग	संख्या	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
14	प्राथमिक पशु उपचार	संख्या	900	900	900	1000	1000	900	900	900	900	900	900	900	11000
15	संतुलित पशु आहार बिक्री	मैटन	920	970	920	990	940	805	765	940	815	770	870	870	10575
16	सरस गोल्ड पशु आहार बिक्री	मैटन	20	20	20	50	50	35	25	50	25	20	20	20	355
17	बाईपास प्रोटीन फीड	मैटन	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
स)	कुल पशु आहार बिक्री		980	1030	980	1080	1030	880	830	1030	880	830	930	930	11410
18	मिनरल मिक्सचर बिक्री	मैटन	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1
19	संतुलित पशु आहार बेचने वाली समितियां	संख्या	कार्यशील समितियों + प्रस्तावित समितियों का 100 प्रतिशत												
द)	प्रशिक्षण कार्यक्रम														
20	सचिव प्रशिक्षण	संख्या	19	19	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	226
21	दुग्ध परीक्षण	संख्या	19	19	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	226
22	एफओपी/एफआईपी	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40
23	प्रबन्ध कार्यकारिणी प्रशिक्षण	संख्या	19	19	18	18	18	18	18	18	20	20	20	20	226
य)	दुग्ध उत्पादकों का बीमा														
24	दुग्ध उत्पादकों का बीमा (SSK Life)	संख्या													
25	दुग्ध उत्पादकों का बीमा (दुर्घटना)	संख्या													
26	आरोग्य बीमा योजनान्तर्गत बीमा	संख्या													
	कुल बीमा														
र)	विपणन														
27	स्थानीय दुग्ध विपणन	000ली.प्रदिन	26.9	26.1	29.5	29.7	30.9	32.9	33.8	30.8	31.3	28.7	30.6	30.8	30
28	नये बूथ खोलना	संख्या	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
29	मिल्क पार्लर	संख्या				1					1				2

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 की अनुपालना रिपोर्ट भाग “अ”

पंजीयन क्रमांक : 579/ एफ पंजीयन दिनांक 29.08.1972

ऑडिट अवधि : 01.04.2014 से 31.3.2015

नाम वर्तमान अंकेक्षक : एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																														
1	1	<p>1. हिस्सा पूंजी :- संघ की अधिकृत हिस्सा पूंजी 100.00 लाख रुपये है, जोकि 100.00 रुपये प्रति हिस्से की दर से एक लाख हिस्सों में विभाजित है। संघ की प्रदत्त हिस्सा पूंजी वर्ष 2014-15 के अन्त में 32.79 लाख रू0 है। गत वर्षों से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।</p> <p style="text-align: right;">(राशि लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.03.2013</th> <th>31.03.2014</th> <th>31.03.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>हिस्सा पूंजी राज्य सरकार</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>01.- हिस्सा पूंजी</td> <td>28.00</td> <td>28.00</td> <td>28.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>02.- हिस्सा राशि</td> <td>01.78</td> <td>01.79</td> <td>01.79</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल योग :-</td> <td>32.78</td> <td>32.79</td> <td>32.79</td> </tr> </tbody> </table> <p>ऑडिट अवधि में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संघ की सदस्यता प्रदान नहीं की गयी है। राज्य सरकार का हिस्सा विनियोजन रुपये 3.00 लाख रू. यथावत् रहा है। आडिट अवधि में दुग्ध समितियों की हिस्सा पूंजी व हिस्सा राशि में क्रमशः रू. 0.00 तथा रू. 000.00 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से की गयी अग्रिम हिस्सा राशि कटौति के रूप में 73.68 लाख रू. संघ में जमा हो चुके है। इस मद में कटौती की गयी राशि का संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के हिस्सों में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। संघ की 31.03.2015 तक की संचित हानि 3161.25 लाख रुपये रही है। इस प्रकार संघ के हिस्सों का मूल्य पिछले वर्षों से ऋणात्मक रहा है। राज्य सरकार एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी</p>	क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	01.	हिस्सा पूंजी राज्य सरकार	3.00	3.00	3.00	02.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां					01.- हिस्सा पूंजी	28.00	28.00	28.00		02.- हिस्सा राशि	01.78	01.79	01.79	कुल योग :-		32.78	32.79	32.79	<p>अंकेक्षक महोदय की हिस्सा पूंजी के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी की है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक की 3,38,300/- रू0 एवं 2011-12 तक की 4,22,900/- रू. राशि के दुग्ध समितियों को हिस्सा प्रमाण-पत्र वर्ष 2015-16 में जारी कर दिये गये हैं। लेखा पुस्तकों में समायोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। समितियों द्वारा संघ की हिस्सा पूंजी में विनियोजन करने के लिए दुग्ध भुगतान में से कटौती करवायी जाती है। यह राशि सौ के गुणांक में हो जाने पर हिस्सा प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। हिस्सा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपविधान अनुसार ही प्रक्रियागत होकर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।</p> <p>यद्यपि दुग्ध संघ पिछले कई वर्षों से लगातार हानि में चल रहा था। जिसके</p>	<p>पूर्ति उचित है।</p>
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015																														
01.	हिस्सा पूंजी राज्य सरकार	3.00	3.00	3.00																														
02.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां																																	
	01.- हिस्सा पूंजी	28.00	28.00	28.00																														
	02.- हिस्सा राशि	01.78	01.79	01.79																														
कुल योग :-		32.78	32.79	32.79																														

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		<p>समितियों की हिस्सा राशि ऋणात्मक हो गई है। परन्तु पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार लाभ रहा तथा विगत वित्तीय वर्ष में 70.27 लाख का लाभ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014.15 में 107.96 लाख का लाभ हुआ है। इस प्रकार संस्था लगातार चौथे वर्ष में भी लाभ में है।</p>	<p>मुख्य कारणों में राजस्थान सरकार एवं आरसीडीएफ के द्वारा तय किये नीतिगत निर्णय हैं जो दुग्ध संघ प्रबन्धन के नियंत्रण में नहीं है तथापि दुग्ध संघ को लगातार घाटे से उबारने के लिए उर्मूल प्रबंधन के प्रयासों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में सफलता मिली एवं संघ को 2011-2012 में 188.05 लाख रू., वर्ष 2012-13 में 150.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में 70.27 लाख रू वर्ष 2014 - 15 में 107.96 लाख रू. का शुद्ध लाभ रहा है। वर्ष 2011-12, 2012 - 13, 2013-14 एवं 2014-15 में दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई। औसत संकलन 2011 -12 में 84778 किलो प्रतिदिन, वर्ष 2012-13 में 97680 किलो, 2013-14 में 96177 किलो 2014-15 में 97357 किलो प्रतिदिन रहा है।</p> <p>पुराने दायित्वों का भी चुकारा किया गया है और किया जा रहा है। पुराने कार्यशील पूंजी ऋण एवं सैस तथा रिहवीलीटेशन एण्ड डवलपमेन्ट फण्ड ऋण की प्रतिमाह एक लाख रू.</p>	

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																									
			आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किश्तों का भुगतान किया जा रहा है। विगत चार वर्षों से लगातार संघ को लाभ हो रहा है। 2014-15 में 1,07,96,241.93 रु शुद्ध लाभ रहा है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की हिस्सा राशि किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं है। संघ के आर्थिक हालातों में सुधार हुआ है के तथ्य को अंकेक्षक महोदय द्वारा स्वीकार किया गया है।																										
(20)	2	2. कोष एवं निधिया :- संस्था के कुल कोष 468.92 लाख रु0 के है तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाखों में)	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.03.2013</th> <th>31.03.2014</th> <th>31.03.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>कैपिटल रिजर्व</td> <td>022.24</td> <td>022.24</td> <td>022.24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>रिजर्व फंड</td> <td>355.79</td> <td>355.79</td> <td>355.79</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अन्य फंड</td> <td>090.89</td> <td>090.89</td> <td>090.89</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>468.92</td> <td>468.92</td> <td>468.92</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	1	कैपिटल रिजर्व	022.24	022.24	022.24	2	रिजर्व फंड	355.79	355.79	355.79	3	अन्य फंड	090.89	090.89	090.89		योग	468.92	468.92	468.92		
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015																									
1	कैपिटल रिजर्व	022.24	022.24	022.24																									
2	रिजर्व फंड	355.79	355.79	355.79																									
3	अन्य फंड	090.89	090.89	090.89																									
	योग	468.92	468.92	468.92																									
		<p>कोष व निधियों की राशि वर्ष 2002-03 से यथावत् है :-</p> <p>1. कैपिटल रिजर्व :- इस मद में वास्तव में ग्रान्ट से मिली राशि से जो सम्पतियां बनायी गयी थी उन पर आंकलित घिसावट की राशि है।</p> <p>2. रिजर्व फंड :- इस मद में ग्रान्टस व अन्य अनरिक्तसाइन्ड राशियां शामिल है।</p>																											

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																																			
		3. अन्य फंड :- इस मद में 9.00 लाख रू0 राज्य सरकार से प्राप्त मार्जिन मनी तथा 13.45 लाख रू. राज्य सरकार से ही आपरेशन फंड द्वितीय के अन्तर्गत प्राप्त कोष की राशि शामिल है। ऋण मद की राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात कर कोष(ऋण) का चुकारा स्वीकृति की शर्तों अनुसार किया जाना अपेक्षित है। शेष राशि 68.45 लाख रू0 1995-96 से पूर्व की है जिसका विवरण संघ रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इस राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात किया जावे ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके।																																																					
3	4	1. सहायता एवं अनुदान :- सहायता एवं अनुदान राशि का गत वर्षों से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है। (राशि लाखों में)	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र.सं.</th> <th rowspan="2">विवरण</th> <th colspan="2">31.03.2013</th> <th colspan="2">31.03.2014</th> <th colspan="2">31.03.2015</th> <th rowspan="2">वृद्धि/ कमी +/-</th> </tr> <tr> <th>नावे</th> <th>जमा</th> <th>नावे</th> <th>जमा</th> <th>नावे</th> <th>जमा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>डेवलपमेंट फंड आरसीडीएफ</td> <td>00.00</td> <td>4.71</td> <td>00.00</td> <td>4.71</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मुख्य मंत्री सम्बल योजना</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>43.23</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</td> <td>00.00</td> <td>50.12</td> <td>00.00</td> <td>10.26</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>0.52</td> <td>57.88</td> <td>43.23</td> <td>57.88</td> <td>00.00</td> <td>00.00</td> <td>+00</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.03.2013		31.03.2014		31.03.2015		वृद्धि/ कमी +/-	नावे	जमा	नावे	जमा	नावे	जमा	1	डेवलपमेंट फंड आरसीडीएफ	00.00	4.71	00.00	4.71	00.00	00.00	NIL	2	मुख्य मंत्री सम्बल योजना	00.00	00.00	43.23	00.00	00.00	00.00	NIL	3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	00.00	50.12	00.00	10.26	00.00	00.00	NIL		योग	0.52	57.88	43.23	57.88	00.00	00.00	+00		
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013			31.03.2014		31.03.2015		वृद्धि/ कमी +/-																																														
		नावे	जमा	नावे	जमा	नावे	जमा																																																
1	डेवलपमेंट फंड आरसीडीएफ	00.00	4.71	00.00	4.71	00.00	00.00	NIL																																															
2	मुख्य मंत्री सम्बल योजना	00.00	00.00	43.23	00.00	00.00	00.00	NIL																																															
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	00.00	50.12	00.00	10.26	00.00	00.00	NIL																																															
	योग	0.52	57.88	43.23	57.88	00.00	00.00	+00																																															
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मद को चालु दायित्व में प्रदर्शित किया गया है																																																					
4	4	बाह्य ऋण :- संस्था पर बाह्य ऋण का गत वर्ष से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :- (राशि लाखों में)	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>31.03.2013</th> <th>31.03.2014</th> <th>31.03.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन फंड ऋण</td> <td>247.00</td> <td>235.00</td> <td>223.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>आरसीडीएफ कार्यशीलपूँजी ऋण</td> <td>1997.72</td> <td>1981.72</td> <td>1969.72</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	1	आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन फंड ऋण	247.00	235.00	223.00	2	आरसीडीएफ कार्यशीलपूँजी ऋण	1997.72	1981.72	1969.72	कार्यशील पूँजी ऋण, आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन एण्ड डवलपमेन्ट फण्ड एवं पुराने सैस पेटे वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं आज तक में लगातार प्रत्येक मद में प्रतिमाह किशत राशि एक-एक लाख रूपये का भुगतान आरसीडीएफ लि. जयपुर के																																					
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015																																																			
1	आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन फंड ऋण	247.00	235.00	223.00																																																			
2	आरसीडीएफ कार्यशीलपूँजी ऋण	1997.72	1981.72	1969.72																																																			

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																																																					
		3. ड्यूटीज व टेक्सेज मद में 10.90 लाख रू0 की देनदारी है। 4. सन्डी क्रेडिटर्स मद में 2188.50 लाख रू0 है, जिसमें से 1248.37 लाख रू0 अकेले आरसीडीएफ को देना है। 5. कर्मचारियों को देना मद में 94.54 लाख रू0 का दायित्व है।	के आधीन हैं।																																																																						
6	6	सम्पत्ति पक्ष :- स्थायी सम्पत्तियों :- संस्था की स्थाई सम्पत्तियों का गत वर्षों से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। (राशि लाखों में) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>31.03.2013</th> <th>31.03.2014</th> <th>31.03.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>276.55</td> <td>262.10</td> <td>273.08</td> </tr> </tbody> </table> ऑडिट अवधि में स्थायी सम्पत्तियों में कमी/वृद्धि निम्न प्रकार हुई है। :- (राशि लाखों में) <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>विवरण</th> <th>1.04.14 को शेष</th> <th>वर्ष में खरीद</th> <th>वर्ष में बिक्री</th> <th>घिसावट</th> <th>31.03.2015 को शेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>उरमूल कॉलोनी</td> <td>13.70</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>0.68</td> <td>13.02</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>बिल्डिंग</td> <td>123.02</td> <td>0.38</td> <td>NIL</td> <td>12.33</td> <td>111.07</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>फनीचर्स व फिक्चर्स</td> <td>5.37</td> <td>0.69</td> <td>NIL</td> <td>0.59</td> <td>5.47</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>व्हीकल्स</td> <td>2.93</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>0.44</td> <td>2.49</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>प्लॉन्ट वमशीनरी</td> <td>109.52</td> <td>45.49</td> <td>NIL</td> <td>19.88</td> <td>135.13</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>कम्प्यूटर व कम्प्यूटररूम</td> <td>3.04</td> <td>0.33</td> <td>NIL</td> <td>1.98</td> <td>1.39</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>अन्य</td> <td>4.52</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>NIL</td> <td>4.52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग:-</td> <td>262.10</td> <td>46.89</td> <td>NIL</td> <td>35.91</td> <td>273.08</td> </tr> </tbody> </table> ऑडिट अवधि में कुल 46.89 लाख रू0 का स्थायी सामान खरीदा गया है।	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	276.55	262.10	273.08	क्र.	विवरण	1.04.14 को शेष	वर्ष में खरीद	वर्ष में बिक्री	घिसावट	31.03.2015 को शेष	1	उरमूल कॉलोनी	13.70	NIL	NIL	0.68	13.02	2	बिल्डिंग	123.02	0.38	NIL	12.33	111.07	3	फनीचर्स व फिक्चर्स	5.37	0.69	NIL	0.59	5.47	4	व्हीकल्स	2.93	NIL	NIL	0.44	2.49	5	प्लॉन्ट वमशीनरी	109.52	45.49	NIL	19.88	135.13	6	कम्प्यूटर व कम्प्यूटररूम	3.04	0.33	NIL	1.98	1.39	7	अन्य	4.52	NIL	NIL	NIL	4.52		योग:-	262.10	46.89	NIL	35.91	273.08	अंकेक्षक महोदय की स्थायी सम्पत्तियों पर तथ्यात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015																																																																							
276.55	262.10	273.08																																																																							
क्र.	विवरण	1.04.14 को शेष	वर्ष में खरीद	वर्ष में बिक्री	घिसावट	31.03.2015 को शेष																																																																			
1	उरमूल कॉलोनी	13.70	NIL	NIL	0.68	13.02																																																																			
2	बिल्डिंग	123.02	0.38	NIL	12.33	111.07																																																																			
3	फनीचर्स व फिक्चर्स	5.37	0.69	NIL	0.59	5.47																																																																			
4	व्हीकल्स	2.93	NIL	NIL	0.44	2.49																																																																			
5	प्लॉन्ट वमशीनरी	109.52	45.49	NIL	19.88	135.13																																																																			
6	कम्प्यूटर व कम्प्यूटररूम	3.04	0.33	NIL	1.98	1.39																																																																			
7	अन्य	4.52	NIL	NIL	NIL	4.52																																																																			
	योग:-	262.10	46.89	NIL	35.91	273.08																																																																			

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
7	7	विनियोग :- संस्था के विनियोग का गत तीन वर्षों से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :- (राशि लाखों में)				अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015			
1	प्रतिभूतियाँ	25.47	25.62	25.20			
2	बैंक सावधि जमाएँ	2.59	Nil	200.51			
3	हिस्सा विनियोग	62.70	143.10	199.74			
	योग :-	90.76	168.72	425.45			
ऑडिट अवधि में प्रतिभूतियों में 256.73 लाख ₹ की वृद्धि हुई है, एवं सावधि जमाओं में 200.51 लाख ₹ की वृद्धि हुई है। हिस्सा विनियोग में 56.64 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। उक्त विनियोगों की ता-तारीख पुष्टि करवा ली गई है। विनियोगों में प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण संस्था के पास उपलब्ध है।							
8	8	चल सम्पतियाँ :- संस्था की वर्ष के अन्त में चल सम्पतियाँ 2255.33 लाख ₹ की रही है इसका गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :- (राशि लाखों में)				अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
क्र.सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015			
1	व्यापारिक स्टॉक	843.92	1001.56	1657.48			
2	ऋण एवं अग्रिम	24.74	27.45	19.56			
3	सन्डी डेटर्स	464.38	384.93	384.49			
4	कैश इन हैंड	NIL	0.15	51 ₹ मात्र			
5	कैश एट बैंक	754.28	98.10	187.46			
6	प्री-पेड खर्चा	4.54	5.04	6.33			
	योग :-	2091.86	1517.23	2255.33			

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																					
9	9	<p>व्यापारिक स्टॉक :-</p> <p>संस्था का अन्तिम व्यापारिक स्टॉक 1657.48 लाख रू0 रहा है जो कुल माल विक्रय का 12.05 प्रतिशत है। अंतिम स्टॉक गत वर्ष की तुलना में 655.92 लाख रू0 ज्यादा रहा है। गत वर्ष की तुलना में Stock Gen. cattle feed 4.10 लाख, Stock Gen Store (Union) 6.73 लाख, Stock ENG. STORE 69.93 लाख, Stock of milk 69.14 लाख, Stock of SMP 981.39 लाख अधिक रहा है। अंतिम व्यापारिक स्टॉक में संस्था द्वारा विक्रय की जाने वाली व अन्य विविध सामग्री शामिल है जिसका वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन संस्था से प्राप्त सूची अनुसार किया गया है।</p> <p>संघ में पैकिंग मेटेरियल की खपत का उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों से मिलान करने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। उत्पादन विभाग में पैकिंग मेटेरियल तथा दुग्ध व अन्य उत्पादों के स्टॉक रजिस्टर तक संधारित नहीं है। पैकिंग मेटेरियल, स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स आदि की खरीद के लिये स्टॉक की अधिकतम व न्यूनतम सीमा तय नहीं है। इस कारण संघ में इनका स्टॉक अधिक या कम रहना संभावित है, जिससे संघ को वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है। संघ प्रबन्धन द्वारा इस बाबत जागरूक व सक्रिय हो कर संघ हित में समुचित व्यवस्था करनी अपेक्षित है।</p>	<p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।</p> <p>अंकेक्षक महोदय के सुझावानुसार भण्डार में रिकार्ड संधारित किया गया है।</p>	<p>पूर्ति उचित है।</p> <p>पूर्ति उचित है।</p>																					
10	10	<p>ऋण एवं अग्रिम :-</p> <p>ऋण व अग्रिम मद में वर्ष के अन्त में 19.56 लाख रू0 की लेनदारी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">विवरण</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>कर्मचारियों में हाउसिंग तथा व्हीकललोन व अन्य अग्रिम</td> <td>+05.69</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>पूर्व कर्मचारियों को नगद एवं अग्रिम</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>टीडीएस जमा</td> <td>+12.86</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>सेल्सटैक्स (अपील अन्तर्गत जमा)</td> <td>+00.77</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>वैट के अन्तर्गत</td> <td>+00.24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">कुल योग :-</td> <td>19.56</td> </tr> </tbody> </table>	विवरण		राशि	1.	कर्मचारियों में हाउसिंग तथा व्हीकललोन व अन्य अग्रिम	+05.69	2.	पूर्व कर्मचारियों को नगद एवं अग्रिम	NIL	3.	टीडीएस जमा	+12.86	4.	सेल्सटैक्स (अपील अन्तर्गत जमा)	+00.77	5.	वैट के अन्तर्गत	+00.24	कुल योग :-		19.56	<p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है। टी.डी.एस. रिफण्ड राशि आयकर विभाग द्वारा एफ.बी.टी. दायित्व में समायोजित कर ली गई है। जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। वैट के लिए बिक्री कर विभाग में कार्यवाही प्रक्रिया अन्तर्गत है।</p>	<p>पूर्ति उचित है।</p>
विवरण		राशि																							
1.	कर्मचारियों में हाउसिंग तथा व्हीकललोन व अन्य अग्रिम	+05.69																							
2.	पूर्व कर्मचारियों को नगद एवं अग्रिम	NIL																							
3.	टीडीएस जमा	+12.86																							
4.	सेल्सटैक्स (अपील अन्तर्गत जमा)	+00.77																							
5.	वैट के अन्तर्गत	+00.24																							
कुल योग :-		19.56																							

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																																			
		उपरोक्त ऋण एवं अग्रिम मद में टीडीएस राशि जो जमा है वह किन-किन सालों की है व कितनी-कितनी है। इस संबंध में संस्था द्वारा विवरण ज्ञात कर समायोजन आगामी वर्षों में किया जाना अपेक्षित है।																																																					
11	11	<p>सन्द्ही डेटर्स :-</p> <p>वर्ष के अन्त में संस्था के सन्द्ही डेटर्स 384.49 लाख रू0 के है। गत वर्ष की तुलना में सन्द्ही डेटर्स में 0.43 लाख रू0 की कमी आई है। सूची अनुसार प्रमुख बकाया निम्न प्रकार है।</p> <p style="text-align: right;">(राशि लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से बीमा योजना के</td> <td>0.86</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>आर सी डी एफ यूनियन</td> <td>151.94</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से मिल्कोस्टेशन के</td> <td>32.81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से</td> <td>11.20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>उरमूल इंटर यूनियन</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ए एस सी डिपो (सभी)</td> <td>129.43</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>चीफ वार्डन ई.सी.बी.</td> <td>NIL</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ए जी होस्पिटल</td> <td>7.09</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>राज इलेक्ट्रीक, जयपुर</td> <td>5.02</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर</td> <td>1.57</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>सैनी इंटरप्राइजेज</td> <td>6.28</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>सॉई इंटरनेशनल, सहारण</td> <td>2.09</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>आईडेन्टी काम्यूनिकेशन</td> <td>0.75</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Rajasthan state Brev. Corp.</td> <td>0.56</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>IOC Mat</td> <td>0.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग :-</td> <td>352.13</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	राशि	1	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से बीमा योजना के	0.86	2	आर सी डी एफ यूनियन	151.94	3	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से मिल्कोस्टेशन के	32.81	4	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से	11.20	5	उरमूल इंटर यूनियन	1.84	6	ए एस सी डिपो (सभी)	129.43	7	चीफ वार्डन ई.सी.बी.	NIL	8	ए जी होस्पिटल	7.09	9	राज इलेक्ट्रीक, जयपुर	5.02	10	सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	1.57	11	सैनी इंटरप्राइजेज	6.28	12	सॉई इंटरनेशनल, सहारण	2.09	13	आईडेन्टी काम्यूनिकेशन	0.75	14	Rajasthan state Brev. Corp.	0.56	15	IOC Mat	0.69		योग :-	352.13	<p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है। सुझावानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में ऋण एवं अग्रिमों में दीर्घकालीन ऋण, अंशकालीन ऋण एवं इन्टर युनिट ट्रांसफर को सम्मिलित नहीं किया जाकर अलग से नियमानुसार प्रदर्शित कर दिया गया है।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2014-15 से आपूर्तिकर्ता को दिया गया अग्रिम वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांश का समायोजन हो चुका है।</p>	पूर्ति उचित है।
क्र.सं.	विवरण	राशि																																																					
1	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से बीमा योजना के	0.86																																																					
2	आर सी डी एफ यूनियन	151.94																																																					
3	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से मिल्कोस्टेशन के	32.81																																																					
4	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से	11.20																																																					
5	उरमूल इंटर यूनियन	1.84																																																					
6	ए एस सी डिपो (सभी)	129.43																																																					
7	चीफ वार्डन ई.सी.बी.	NIL																																																					
8	ए जी होस्पिटल	7.09																																																					
9	राज इलेक्ट्रीक, जयपुर	5.02																																																					
10	सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	1.57																																																					
11	सैनी इंटरप्राइजेज	6.28																																																					
12	सॉई इंटरनेशनल, सहारण	2.09																																																					
13	आईडेन्टी काम्यूनिकेशन	0.75																																																					
14	Rajasthan state Brev. Corp.	0.56																																																					
15	IOC Mat	0.69																																																					
	योग :-	352.13																																																					

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी															
		<p>समितियों से मिलकोस्टेशन के अन्तर्गत प्रदर्शित लेनदारी में प्राथमिक दुग्ध समितियों को दिये गये मिलकोस्टेशन की राशि है। कुल 101 एएमसीयू दुग्ध समितियों को दिये गये थे। एक एएमसीयू की लागत 125000.00 ₹ थी जिसमें से 62500.00 ₹ दुग्ध समिति से तथा शेष 62500.00 ₹ उरमूल/आरसीडीएफ स्तर से वहन की जानी थी। एएमसीयू की पूरी राशि समितियों के नावे लिख दी गयी है, जोकि उचित नहीं है। उरमूल/आरसीडीएफ के हिस्से का उचित समायोजन इस मद में किया जाकर संघ के अंतिम लेखों में दुरुस्ती की जानी अपेक्षित है।</p> <p>सेण्ड्री डेटर्स की राशि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है।</p> <p>कोष प्रावधान किया जाना अपेक्षित</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>देनदार</th> <th>प्रावधान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 1 से 3 वर्ष</td> <td>35212482.59</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(2) 3 से 6 वर्ष (50 प्रतिशत)</td> <td>2015571.37</td> <td>1007785.69</td> </tr> <tr> <td>(3) 6 वर्ष से अधिक(100प्रतिशत)</td> <td>1221249.03</td> <td>1221249.03</td> </tr> <tr> <td>योग-</td> <td>38449302.99</td> <td>2229034.72</td> </tr> </tbody> </table> <p>सेण्ड्री डेटर्स की उक्त बकाया राशि 22.29 लाख हेतु सन्देहात्मक/ बट्टा खाता कोश प्रावधान नहीं किया गया है।</p>	विवरण	देनदार	प्रावधान	(1) 1 से 3 वर्ष	35212482.59	-	(2) 3 से 6 वर्ष (50 प्रतिशत)	2015571.37	1007785.69	(3) 6 वर्ष से अधिक(100प्रतिशत)	1221249.03	1221249.03	योग-	38449302.99	2229034.72		
विवरण	देनदार	प्रावधान																	
(1) 1 से 3 वर्ष	35212482.59	-																	
(2) 3 से 6 वर्ष (50 प्रतिशत)	2015571.37	1007785.69																	
(3) 6 वर्ष से अधिक(100प्रतिशत)	1221249.03	1221249.03																	
योग-	38449302.99	2229034.72																	
12	12	<p>कैश एट बैंक :-</p> <p>संघ के विभिन्न बैंको में 13 बचत व चालू खाते हैं जिनमें वर्ष के अन्त में 187.46 लाख ₹0 जमा थे। सभी बैंक खातों का मिलान कर बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किये गये हैं। उक्त खातों के बैंक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं।</p>	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी	पूर्ति उचित है।															
13	13	<p>व्यापार खाता :-</p> <p>संस्था के व्यापार की गत तीन वर्षों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :-</p>	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी	पूर्ति उचित है।															

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																
		(राशि लाखों में)																																					
		क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15																																	
		1	विक्रय लागत	9483.46	11811.85	11943.22																																	
		2	विक्रय	11116.59	13364.84	13755.48																																	
		3	सकल लाभ	1633.13	1552.99	1812.26																																	
		4	सकल लाभ का बिक्री से प्रतिशत	14.69	11.62	13.17																																	
		ऑडिट अवधि में संस्था के विक्रय लागत में 131.37 लाख रू. की वृद्धि हुई है तथा विक्रय में भी 390.64 लाख रू. की वृद्धि हुई है। सकल लाभ में गत वर्ष की तुलना में 259.27 लाख की वृद्धि हुई है।																																					
14	14	<p>लाभ हानि खाता :-</p> <p>ऑडिट अवधि में संस्था 107.96 लाख रू0 की शुद्धलाभ में रही है। ऑडिट अवधि में पैरा 11 में दिये गये विवरणानुसार सैण्ड्र डटर्स की बकाया राशि 22.29 लाख हेतु सन्देहात्मक/बट्टा खाता कोश प्रावधान किया जाना चाहिए जो किया हुआ नहीं है। संस्था गत तीन वर्षों से निरन्तर लाभ में चल रही है। गत चार वर्षों से निरन्तर लाभ का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :-</p> <p style="text-align: right;">(राशि लाखों में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>शुद्ध हानि/लाभ</th> <th>संचित हानि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2008-2009</td> <td>619.55</td> <td>2900.68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2009-2010</td> <td>381.15</td> <td>3281.83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2010-2011</td> <td>396.39</td> <td>3678.22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2011-2012</td> <td>+188.06</td> <td>-3490.16</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2012-2013</td> <td>+150.67</td> <td>-3339.49</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2013-2014</td> <td>+70.27</td> <td>-3269.22</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2014-2015</td> <td>+107.96</td> <td>-3161.26</td> </tr> </tbody> </table>				क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्ध हानि/लाभ	संचित हानि	1	2008-2009	619.55	2900.68	2	2009-2010	381.15	3281.83	3	2010-2011	396.39	3678.22	4	2011-2012	+188.06	-3490.16	5	2012-2013	+150.67	-3339.49	6	2013-2014	+70.27	-3269.22	7	2014-2015	+107.96	-3161.26	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्ध हानि/लाभ	संचित हानि																																				
1	2008-2009	619.55	2900.68																																				
2	2009-2010	381.15	3281.83																																				
3	2010-2011	396.39	3678.22																																				
4	2011-2012	+188.06	-3490.16																																				
5	2012-2013	+150.67	-3339.49																																				
6	2013-2014	+70.27	-3269.22																																				
7	2014-2015	+107.96	-3161.26																																				

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		<p>वर्ष 2014-2015 के अन्त तक संस्था की कुल संचित हानि 3161.26 लाख रू0 की हो चुकी है। परन्तु ऑडिट अवधि में संस्था ने 107.96 लाख का लाभ प्राप्त किया है, इसके निरन्तरता बनाये रखने के अथक प्रयास जारी रहने चाहिये। संस्था के लाभ में वृद्धि हेतु निम्न सूझाव पर कार्यवाही अपेक्षित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संस्था के प्लांट की क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन है। ऑडिट अवधि में प्रतिदिन औसत 96178 किलो प्रतिदिन दुग्ध ही संकलित हुआ है। दुग्ध के कम संकलन से प्लांट व मशीनरी की क्षमता का 64 प्रतिशत (64.12) से भी कम उपयोग हो पा रहा है, जबकि इस पर होने वाले स्थायी व्यय यथावत् रहे है अथवा उनमें वृद्धि हुयी है। संघ को दुग्ध संकलन में वृद्धि की जानी चाहिये। 2. ऑडिट अवधि में कुल विक्रय किये गये दुग्ध का लगभग 27 प्रतिशत भाग ही सिटी सप्लाई में प्रयुक्त हुआ है। सिटी सप्लाई में दुग्ध बिक्री करना संघ के लिये अधिक लाभदायक है तथा माल की राशि भी अग्रिम प्राप्त होती है अतः संघ प्रबन्धन को सिटी सप्लाई में अधिकतम दुग्ध बिक्री करने हेतु कार्य योजना तैयार कर उसे कुशलतापूर्वक लागू करने के प्रयास करने चाहिये। 3. संस्था को दुग्ध संकलन के अनुपात में ही खर्चों पर नियंत्रण किया जाना चाहिये। 4. संघ का डेयरी संयंत्र लगभग 31 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है तथा इसके आधुनिकरण की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है इसके अभाव में संघ के उत्पादन की क्षमता व लागत प्रभावित हुई है। पुरानी तकनीक एवं मशीनरी के कारण संघ की उत्पादन लागत भी अनावश्यक रूप से बढी है जिससे संघ को अपने व्यवसाय में वाछित लाभ नहीं हो रहा है। 5. संघ के उत्पादन विभाग में प्रयुक्त होने वाले पैकिंग मैटीरियल व अन्य कैमिकल्स आदि की खपत बाबत विधिवत रिकॉर्ड संघारित नहीं किया जाता है। संघ प्रबन्धन इस ओर ध्यान देकर विधिवत रिकार्ड संधारण करवायें। 	<p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।</p> <p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।</p> <p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।</p> <p>अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।</p> <p>अंकेक्षक महोदय की सुझावा अनुसार कार्यवाही की गई है।</p>	<p>पूर्ति उचित है।</p> <p>पूर्ति उचित है।</p> <p>पूर्ति उचित है।</p> <p>पूर्ति उचित है।</p> <p>पूर्ति उचित है।</p>
15	15.1	<p>संस्थापन व्यय :-</p> <p>संस्था द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों पर किये गये संस्थापन व्ययों का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :-</p>	<p>अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी है।</p>	<p>पूर्ति उचित है।</p>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट						अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी	
		क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	वृद्धि/कमी	प्रतिशत		
		1	वेतन	927.24	931.27	1007.89	+76.62	8.23%		
		2	ग्रुप ग्रेच्युटी	20.00	85.35	155.87	+70.52	82.62%		
		3	ग्रुप इन्श्योरेन्स पॉलीसी	2.61	1.27	3.87	+2.60	204.72%		
		4	पेशन कन्ट्रीब्यूशन	NIL	0.02	NIL	-0.02	100%		
		5	ISO90012008 MMPO Exp.	1.78	0.18	0.21	-0.03	16.67%		
		6	विज्ञापन एवं निविदा	10.83	16.42	6.91	-9.51	57.92%		
		7	चीज व्यय	0.11	0.57	0.28	+0.29	50.88%		
		8	Commission on chees supply	1.71	1.21	1.90	-0.69	57.02%		
		9	किराये व्यय वाहन चैयरमैन	2.88	2.46	3.20	-0.74	30.08%		
		10	किराया के वाहन संघ	2.46	3.76	2.44	-1.32	35.11%		
		11	मिल्क वितरण खर्च	173.01	224.84	276.96	+52.12	23.18%		
		12	प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	4.85	7.40	6.52	+0.88	11.89%		
			योग :-	1147.48	1274.75	1466.05	+191.24			
		वर्ष में सेवा निवृत्ति हुए कर्मचारियों को बकाया अवकाश के भुगतान तथा वेतन भत्तो में सामान्य बढ़ोतरी इसके प्रमुख कारण रहे है ।								
	15.2	संस्थापन व्यय का बिक्री से प्रतिशत :- संघ के संस्थापन व्यय तथा इसके बिक्री से प्रतिशत का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है । :- (राशि लाखों में)								
		क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15				
		1	कुल बिक्री	11116.59	13364.84	13755.48				
		2	संस्थापन व्यय	1147.48	1274.75	1466.05				
		3	संस्थापन व्यय का बिक्री से प्रतिशत	10.32	9.53%	10.66%				
		अंकेक्षक महोदय की सामान्य सुझावात्मक टिप्पणी है ।								

पूर्ति उचित है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																								
		उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की गत वर्षों की तुलना में बिक्री में 390.64 लाख रू0 की वृद्धि हुई है तथा संस्थापन व्यय भी 191.30 लाख रू0 की वृद्धि हुई है। आडिट अवधि में संस्थापन व्यय के बिक्री से प्रतिशत में 1.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें कमी लाई जानी अपेक्षित है।																																										
16	16.1	<p>बजट :-</p> <p>संस्था का वर्ष 2014-15 का बजट संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठक दिनांक 25.09.2014 में पारित किया गया है। स्वीकृत बजट तथा वास्तविक उपलब्धि/खर्च का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।</p> <p style="text-align: right;">(राशि लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>बजट अनुमान</th> <th>वास्तविक</th> <th>वृद्धि/कमी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>कुल बिक्री</td> <td>19187.49</td> <td>13755.48</td> <td>-5432.01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>विक्रय लागत</td> <td>16934.05</td> <td>11943.22</td> <td>-4990.83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>सकल लाभ</td> <td>2256.44</td> <td>1812.26</td> <td>-444.18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>शुद्ध लाभ</td> <td>78.37</td> <td>107.96</td> <td>+29.59</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी	1	कुल बिक्री	19187.49	13755.48	-5432.01	2	विक्रय लागत	16934.05	11943.22	-4990.83	3	सकल लाभ	2256.44	1812.26	-444.18	4	शुद्ध लाभ	78.37	107.96	+29.59	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।															
क्र.सं.	विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी																																								
1	कुल बिक्री	19187.49	13755.48	-5432.01																																								
2	विक्रय लागत	16934.05	11943.22	-4990.83																																								
3	सकल लाभ	2256.44	1812.26	-444.18																																								
4	शुद्ध लाभ	78.37	107.96	+29.59																																								
	16.2	<p>बजट तथा वास्तविक व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।</p> <p style="text-align: right;">(राशि लाखों में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>विवरण</th> <th>बजट</th> <th>वास्तविक</th> <th>वृद्धि/कमी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>समितियों से दुग्ध परिवहन</td> <td>1639.31</td> <td>984.20</td> <td>-655.11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>समितियों के सेस</td> <td>279.78</td> <td>220.75</td> <td>-59.03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ईंधन व डी जी सेट</td> <td>486.84</td> <td>343.04</td> <td>-143.80</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>बिजली खर्च</td> <td>240.00</td> <td>187.36</td> <td>-52.64</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>रसायन</td> <td>15.00</td> <td>13.42</td> <td>-1.58</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>टैकर रिपेयरिंग व ईंधन</td> <td>102.00</td> <td>80.09</td> <td>-21.91</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>लेबर</td> <td>156.00</td> <td>178.51</td> <td>22.51</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	विवरण	बजट	वास्तविक	वृद्धि/कमी	1	समितियों से दुग्ध परिवहन	1639.31	984.20	-655.11	2	समितियों के सेस	279.78	220.75	-59.03	3	ईंधन व डी जी सेट	486.84	343.04	-143.80	4	बिजली खर्च	240.00	187.36	-52.64	5	रसायन	15.00	13.42	-1.58	6	टैकर रिपेयरिंग व ईंधन	102.00	80.09	-21.91	7	लेबर	156.00	178.51	22.51	आरसीडीएफ लि0 जयपुर द्वारा जिला संघों को वित्तीय वर्ष के अनुसार एक्शन प्लान (वार्षिक कार्य योजना) स्वीकृत की जाती है। इसी योजना को आधार मानते हुए वित्तीय बजट तैयार किया जाता है। जो कि कार्य योजना सफलता पर आधारित होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान हुए वास्तविक खर्चों का अनुमोदन आमसभा दिनांक 04.11.2015 में करवा लिया गया है।	पूर्ति उचित है।
क्र.सं.	विवरण	बजट	वास्तविक	वृद्धि/कमी																																								
1	समितियों से दुग्ध परिवहन	1639.31	984.20	-655.11																																								
2	समितियों के सेस	279.78	220.75	-59.03																																								
3	ईंधन व डी जी सेट	486.84	343.04	-143.80																																								
4	बिजली खर्च	240.00	187.36	-52.64																																								
5	रसायन	15.00	13.42	-1.58																																								
6	टैकर रिपेयरिंग व ईंधन	102.00	80.09	-21.91																																								
7	लेबर	156.00	178.51	22.51																																								

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		8	अन्य प्रोसेस चार्जेज	237.90	140.43	-97.47	
		9	पेकिंग मैटेरियल	420.16	303.34	-116.82	
		10	आरएमजी परिवहन	593.29	314.34	-278.95	
		11	सिटी सप्लाई परिवहन	103.48	29.53	-73.95	
		12	आरसीडीएफ सेस	92.15	0.00	-92.15	
		13	वेतन एवं अन्य परिलाभ	1099.68	1170.84	71.16	
		14	मरम्मत एवं रखरखाव संयंत्र	69.00	52.04	-16.96	
		15	मरम्मत एवं रखरखाव भवन	21.00	1.20	-19.80	
		16	ट्रेवलिंग एण्ड कन्वेन्स चार्जेज	8.76	5.75	-3.01	
		17	वाहन खर्च	30.00	15.74	-14.26	
		18	बीमा	9.00	5.50	-3.50	
		19	सैल्स प्रमोशन	5.00	1.90	-3.10	
		20	कार्यालय व्यय	128.71	109.50	-19.21	
		21	विविध व अन्य स्थाई खर्च	6.00	17.17	11.17	
		22	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	12.00	13.67	1.67	
		23	घिसावट	36.00	35.91	-0.09	
			कुल योग :-	5791	4224		
		<p>उपरोक्त से स्पष्ट है कि बजट व वास्तविक खर्चों में कोई तालमेल का अभाव है। संघ का बजट आर. सी.डी.एफ.लि. द्वारा वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत निर्धारित/स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। संघ को भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अधिक हुए खर्चों की स्वीकृति आगामी संचालक मण्डल/आमसभा से प्राप्त की जावे।</p>					

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट						अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
17	17	फैट/एसएनएफ का रिकवरी स्टेटमेन्ट :- फैट/एसएनएफ की रिकवरी का गत वर्ष से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :-						अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
		वर्ष 2012-13 (01.04.12 से 31.03.13)		वर्ष 2013-14 (01.04.13 से 31.03.14)		वर्ष 2014-15 (01.04.14 से 31.03.15)			
		फैट	एस एन एफ	फैट	एस एन एफ	फैट	एस एन एफ		
		-1.58	-1.94	-1.94	-1.01	-1.94	-1.07		
गत वर्ष से तुलना करने पर फैट रिकवरी में वर्ष में 0.00 प्रतिशत हानि है। एस.एन.एफ. में क्रमशः 0.06 प्रतिशत ज्यादा हानि हुई है। फैट व एसएनएफ की हानि आरसीडीएफ के निर्धारित मापदण्डों, जो कि फैट के लिये 2.5-3.0 प्रतिशत तथा एसएनएफ के लिये 3.0-4.0 प्रतिशत है, के भीतर है।									
(33)	18	एक्सपायर हो चुके स्टॉक का विवरण :- फिनिस्ड गुड्स स्टॉक स्टोर के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित स्टॉक एक्सपायर हो चुका था। :-						अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी है।	आंशिक पूर्ति हुई है। पूर्ण पूर्ति वांछनीय है।
		क्र.सं.	विवरण	वजन किग्रा/लीटर	डिस्ट्रीब्यूटर दर	राशि			
		1	गुलाब जामुन	27 Kg	92.00	2484.00			
		2	रसगुल्ला	2233 Kg	82.00	183106.00			
		3	फ्लेवर्ड मिल्क	691.4 Liter	50.00	34570.00			
		4	आईस्क्रीम वनीला 50 ग्राम	26 Cup	88.16	95.50			
		5	कोन बटर स्कॉच 120 ग्राम	56 Pact	105.80	5924.80			
		6	कोन चॉकलेट 120 ग्राम	32 Pact	105.80	3385.60			
		7	बटर स्कॉच 900 ग्राम	3 Pact	59.99	179.79			
		8	केसर पिस्ता 900 ग्राम	2 Pact	90.54	181.08			

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		9	केसर पिस्ता लार्ज 100 ग्राम	9 Pact	132.25	1190.25	
		10	टेट्रा पैक फिट एण्ड फाईन	1 Liter	26.50	26.50	
		11	कॉफी व टमाटर सूप पाउडर/मसाला	----	----	2040.00	
		12	जई बीज	210.00	27.00	5670.00	
			Grand Total :-			238853.52	
		<p>क्रम संख्या 2 पर अंकित 2233 किग्रा रसगुल्ला खराब गुणवत्ता का होने के कारण इसकी वसूली रु. 183106.00 निर्माता मैसर्स विनायक कन्टनर्स के बिलों से निविदा की शर्तों के अनुसार कर ली गई है। फ्लेयवरड मिल्क तथा जई बीज के बारे में उत्तरदायित्व तय करने के लिए संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 24.9.10 के द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां बीकानेर खण्ड बीकानेर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। शेष एक्सपायरी स्टॉका को उक्त संचालक मण्डल की बैठक में अपलिखित करने का निर्णय लिया गया है। जिसको वर्ष के दौरान अपलिखित किया गया है। परन्तु अभी तक फ्लेयवरड मिल्क तथा जई बीज के बारे में उत्तरदायित्व व्यक्तियों से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतिशीघ्र वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।</p>					
19	19	<p>संघ की विगत ऑडिट रिपोर्ट में हैड लोड मद में किये गये भुगतान प्रकरण, संघ परिसरों में से सफेदे के हरे पेड़ों की कटाई करवाकर लकड़ी को काफी कम दरों पर बिक्री करने का प्रकरण, आर्मी को सप्लाई की गई चीज की राशि में आर्मी द्वारा कटौती की गई राशि 892874.72 के जमा खर्च बाबत, संघ के उत्पादन विभाग द्वारा प्रयुक्त अन्य पैकिंग सामग्री के विवरण बाबत, चीज बिक्री कमीशन भुगतान प्रकरण की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-55 में करने की अभिषंसा की गई का उल्लेख है। परन्तु ऑडिट अवधि के दौरान कोई जांच रिपोर्ट एवं निर्णय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है।</p>				राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम - 2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से करवाई जा रही है।	धारा 55 की रिपोर्ट आना बाकी है पूर्ति नहीं हुई है।
20	20	<p>विगत ऑडिट रिपोर्ट में चीज अनुबन्ध पेटे आर्मी द्वारा जब्त की गई प्रतिभूति रूपये 45.29 लाख के प्रकरण में श्री जीवन प्रभाकर पूर्व प्रबन्ध संचालक महोदय के विरुद्ध उक्त प्रकरण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-57 में दर्ज करने की अभिषंसा ऑडिट रिपोर्ट में की गई। परन्तु अभी ऑडिट अवधि के दौरान कोई कार्यवाही वसूली की नहीं हुई है। अतः उचित कार्यवाही</p>				संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ लि., जयपुर द्वारा सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 57 पर	पूर्ति उचित है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		अतिशीघ्र अपेक्षित है। ऑडिट रिपोर्ट लिखे जाने तक प्राप्त सूचना अनुसार संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर के द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-57 के अन्तर्गत आदेश/निर्णय क्रमांक : आरसीडीएफ/आईडी/एफ.14(9)/57-संघ/14/26068-70 दिनांक 23.09.2014 पारित कर पूर्व प्रबंध संचालक श्री जीवन प्रभाकर को आरोप से मुक्त कर दिया।	निर्णयादेश क्रमांक : 26068-70 दिनांक 23.09.2014 को कर दिया गया है। निर्णयानुसार पूर्व प्रबंध संचालक श्री जीवन प्रभाकर को आरोप मुक्त कर दिया गया है।	
21	21	<p>लागत लेखांकन व लागत मूल्य निर्धारण :-</p> <p>उर्मूल, बीकानेर एक उत्पादक एवं व्यापारिक संस्था है तथा इसमें लागत लेखांकन व उत्पादों की लागत के आकलन व मूल्यांकन की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। अतः पुनः विषेश सुझाव है कि संघ प्रबन्धन, संघ में स्थापित प्रत्येक प्लान्ट व मशीनरी बाबत, लागत लेखांकन से संबंधित सूचनाओं का संधारण, संकलन व विश्लेषण आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिये, संघ में उपलब्ध स्टाफ में से ही, लागत लेखांकन की जानकारी रखने वाले लेखाकर्मी को विशेषकर इस कार्य हेतु लगाया जाना भी संघ हित में उचित होगा।</p>	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
22	22	<p>संघ अधिकारियों को विधि विरुद्ध तरीके से दी गयी तदर्थ पदोन्नति का प्रकरण :- गत आडिट अवधि के दौरान तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री जीवन प्रभाकर द्वारा आदेश क्रमांक 15544 दिनांक 25.02.2010 द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की उप प्रबन्धक के पद पर तदर्थ (ad hoc) पदोन्नति प्रदान करने के आदेश जारी किये गये हैं। इस आदेश में तदर्थ रूप से पदोन्नत किये गये अधिकारियों की वर्तमान वेतन श्रृंखला व तदर्थ पदोन्नति के पश्चात् प्राप्त होने वाली वेतन श्रृंखला का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है।</p> <p>01.- श्री बी0एस0सहारण सहायक अभियन्ता</p> <p>02.- डा0 जी0के0नागपाल सहायक परियोजना अधिकारी</p> <p>इस बाबत संघ प्रबन्धन से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत करवाया गया कि उक्त पदोन्नति का प्रकरण बिना पर्सनल कमेटी के समक्ष रखे तथा बिना पर्सनल कमेटी व संघ के संचालक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये ही जारी किये गये हैं। जबकि संघ के उप नियम संख्या 21.3 के प्रावधानों अनुसार</p>	संघ की संस्थापन समिति की बैठक दिनांक 19.03.2015 को हुई। जिसमें तदर्थ पदोन्नति की पुष्टि नहीं की गई। श्री नागपाल, श्री बी.एस. सारण एवं श्री एम. एम. व्यास सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनको सेवानिवृत्ति पर देय लाभ क्रमशः सहायक परियोजना अधिकारी, सहायक अभियन्ता एवं सहायक प्रबन्धक के पद पर देयता के अनुसार किया गया है।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		<p>कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति आदि के प्रकरणों पर पर्सनल कमेटी में विचार कर उसकी सिफारिशों के अनुरूप प्रकरण संघ के संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करना संघ के उप नियम संख्या 21.2 (12) के अंतर्गत आवश्यक है।</p> <p>इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त पदोन्नति के आदेश तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री जीवण प्रभाकर द्वारा संघ के उपनियम संख्या 22 में उल्लेखित प्रबन्ध संचालक के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरुद्ध रूप से जारी किये गये हैं अतः विधिक दृष्टि से उक्त आदेश "प्रारम्भ से ही अवैध एवम् शून्य" (Ab initio null & void) हैं। अतः प्रबन्ध संचालक, उरमूल, बीकानेर इस आदेश को अविलम्ब विधिवत् रूप से अवैध व शून्य धोषित कर निरस्त करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।</p> <p>इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि संघ के आदेश की प्रति संलग्न है, तत्कालीन प्रबन्ध संचालक डा0 एस0 आर0 कूकणा द्वारा भी वर्ष 2008-2009 के दौरान अपने आदेश क्रमांक 7261-71 दिनांक 19.09.2008 द्वारा संघ के कुल 06 अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार अवैध रूप से तदर्थ पदोन्नति दी गयी थी जिसके लिये वर्ष 2008-09 की आडिट रिपोर्ट में ("अ" भाग, पैरा न0 20) संबधित से अधिक दी गयी राशि 68622.00 रू0 की वसूली राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 के प्रावधानों अनुसार किये जाने तथा डा0 कूकणा के विरुद्ध, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में धोर लापरवाही बरतने के लिये, आरसीडीएफ को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखे जाने की अभिषंशा की गयी थी। महा-प्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासन आरसीडीएफ जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक आरसीडीएफ/संस्था/एफ. 1(बी-91)2012/11003-06 दिनांक 19.06.2012 के द्वारा तत्कालीन प्रबन्ध संचालक डॉ. एस.आर.कूकणा को परनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है, एवं उनके द्वारा जारी तदर्थ पदोन्नति प्रकरण में जिनको पदोन्नति दी गयी है उनका मामला आगामी पी.सी.मीटींग में रखकर नियमित करवाने हेतु आरसीडीएफ द्वारा पत्र क्रमांक/आरसीडीएफ/संस्था/ एफ-1(बी-91)/2012/11007 दिनांक 19.06.2012 के द्वारा निर्णय दिया है। ऑडिट अवधि में संस्थापन समिति की दिनांक 19.03.2015 को बैठक हुई जिसमें हुये निर्णय के अनुसार उपरोक्त पदोन्नतियों को 19.03.2015 से</p>	<p>संघ की संस्थापन समिति बैठक दिनांक 19.03.2015 में पदोन्नति प्रभावी दिनांक 19.03.2015 से किये जाने के कारण वर्ष 2008-09 में की गई तदर्थ पदोन्नति आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।</p> <p>सहकारी अधिनियम की धारा 57 के तहत कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी के स्तर से की जानी आपेक्षित है।</p>	<p>पूर्ति मान्य है।</p> <p>धारा 57 की जांच एवं वसूली बकाया है पूर्ति मान्य नहीं है।</p>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी																																								
		<p>प्रभावी माना गया है। अतः निम्नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गई पदोन्नति के परिलाभ एवं वेतन वृद्धिके द्वारा भुगतान की गई राशि (सूचना संस्था द्वारा जो उपलब्ध करवाई गई है) के अनुरूप रूपये 6,65,201/- कि वसूली कर्मचारियों/अधिकारियों से धारा 57 में की जाने की अनुशंसा की जाती है -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>नाम</th> <th>पद</th> <th>अवधि</th> <th>पदोन्नति के कारण भुगतान की राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>आर.के. व्यास</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से जून, 10</td> <td>44687.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>के.के. सोनी</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से जुलाई, 15</td> <td>26780.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>हरध्यान सिंह मेहरा</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से जुलाई, 15</td> <td>96641.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>दलपत सिंह राठौड़</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से जुलाई, 15</td> <td>28724.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>भरत सिंह चौधरी</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से जुलाई, 15</td> <td>453513.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>एम.एम. व्यास</td> <td>उप-प्रबंधक (तदर्थ)</td> <td>सितम्बर, 08 से अगस्त, 09</td> <td>14856.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>कुल योग</td> <td></td> <td></td> <td>665201.00</td> </tr> </tbody> </table>				क्र.सं.	नाम	पद	अवधि	पदोन्नति के कारण भुगतान की राशि	1	आर.के. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जून, 10	44687.00	2	के.के. सोनी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	26780.00	3	हरध्यान सिंह मेहरा	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	96641.00	4	दलपत सिंह राठौड़	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	28724.00	5	भरत सिंह चौधरी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	453513.00	6	एम.एम. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से अगस्त, 09	14856.00		कुल योग			665201.00		
क्र.सं.	नाम	पद	अवधि	पदोन्नति के कारण भुगतान की राशि																																											
1	आर.के. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जून, 10	44687.00																																											
2	के.के. सोनी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	26780.00																																											
3	हरध्यान सिंह मेहरा	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	96641.00																																											
4	दलपत सिंह राठौड़	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	28724.00																																											
5	भरत सिंह चौधरी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	453513.00																																											
6	एम.एम. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से अगस्त, 09	14856.00																																											
	कुल योग			665201.00																																											
23	23	<p>संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों को छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार वेतनमान स्वीकृति का प्रकरण :-</p> <p>संघ के पूर्व प्रबन्ध संचालक श्री जीवण प्रभाकर ने, संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों के सख्त आन्दोलन (Serious Agitation) को दृष्टिगत रखते हुये, आदेश संख्या 15042-45 दिनांक 25.02.2010 द्वारा संघ के अधिकारियों व कर्मचारियों को छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार</p>				अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी है। राजस्थान उच्च न्यायालय य एकल पीठ ने कर्मचारी जो अपीलकर्ता थे के	पूर्ति मान्य है।																																								

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		<p>वेतनमान के परिलाभ देने की स्वीकृति प्रदान करने आदेश प्रसारित किये गये थे। इन आदेशों को लागू करने पर संघ में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को माह फरवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार नये वेतनमान में वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान किया गया है। संघ से प्राप्त सूचना अनुसार संघ में पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार वेतनमान स्वीकृति प्रदान करने के कारण माह फरवरी, 2010 से अप्रैल, 2010 तक कुल 3962467.00 ₹ का अतिरिक्त भुगतान संघ द्वारा इस मद में किया गया है।</p> <p>संघ के संचालक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 171 (2) दिनांक 12.03.2010 एवम् इस प्रस्ताव के एन्टीसिपेशन में संघ द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित आदेश को श्रीमान् संयुक्त रजिस्ट्रार (बीकानेर खण्ड), सहकारी समितियां, बीकानेर ने अपने अंतरिम स्थगन आदेश संख्या 1834-36 दिनांक 20.04.2010 द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 125 (1) के अंतर्गत अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया था। श्रीमान् संयुक्त रजिस्ट्रार (बीकानेर खण्ड), सहकारी समितियां, बीकानेर के उक्त अंतरिम स्थगन आदेश को संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4582/10 (श्री प्रेमरतन स्वर्णकार व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य) दायर कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में चुनौती दी गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पर दिनांक 14.05.2010 को स्थगन आदेश जारी कर दिया।</p> <p>संघ के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक श्री जीवण प्रभाकर ने, छठे वेतन आयोग के वेतनमान लागू करने संबन्धी पूर्व में जारी आदेश दिनांक 25.02.2010 को, अपने आदेश क्रमांक 1829-33 दिनांक 25.05.2010 द्वारा निरस्त कर दिया। इसी क्रम में श्रीमान् शासन सचिव, पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक फा/1(13) प0पा0/2008 दिनांक 26.05.2010, जोकि प्रबन्ध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर को संबोधित है, के द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना जिला दुग्ध उत्पादक संघ, बीकानेर में छठे वेतनमान लागू करने बाबत जारी आदेशों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गयी।</p> <p>इसी क्रम में आरसीडीएफ, जयपुर के वित्तिय सलाहकार ने भी अपने पत्र क्रमांक 10359-62</p>	<p>पक्ष में निर्णय कर छठा वेतनमान राज्य सरकार के अनुरूप उरमूल कर्मियों को दिये जाने का निर्णय दिया है। मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (डब्लु बैच) जोधपुर में विचाराधीन है। राज्य सरकार के सहकारी विभाग के द्वारा डबल बैच में कि गई अपील खारीज हो जाने के कारण उरमूल कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार एवं आरसीडीएफ, जयपुर की भांति लागू किये जाने का निर्णय, संचालक मण्डल बैठक दिनांक 03.09.2014 एवं आमसभा दिनांक 25.09.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक : 7137-60 दिनांक 03.09.2014 प्रसारित किया गया।</p>	<p>पूर्ति उचित है। मान्य है।</p>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		<p>दिनांक 13.07.2010 द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान सरकार एवम् श्रीमान् रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर ने बीकानेर दुग्ध संघ में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है।</p> <p>आरसीडीएफ के वित्तीय सलाहकार के उक्त पत्र दिनांक 13.07.2010 एवम् उरमूल, बीकानेर के आदेश दिनांक 24/25.05.2010 को संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका क्रमांक 7621/2010 दायर कर चुनौती दी गयी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस स्थगन आदेश के विरुद्ध संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ में स्पेशल अपील दायर की गयी जिसमें उक्त स्थगन आदेश को वैकैट करते हुये सिंगल बेंच को उक्त प्रकरण को 06 माह में निर्णय लेने हेतु लौटा दिया गया। उसके बाद उक्त प्रकरण निस्तारित कर कर्मचारियों के छठे वेतनमान देने का निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कर दिया गया। जिसके विरुद्ध उरमूल प्रबन्ध संचालक डॉ.एस.आर.तौमर ने मुख्य खण्ड पीठ में अपील की जो अभी भी विचाराधीन है। ऑडिट रिपोर्ट लिखने तक निम्न प्रगति सामने आई है :-</p> <p>मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (डब्लु बेंच), जोधपुर में विचाराधीन है। राज्य सरकार के सहकारी विभाग के द्वारा डबल बेंच में कि गई अपील खारीज हो जाने के कारण उरमूल कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार एवं आरसीडीएफ, जयपुर की भांति लागू किये जाने का निर्णय, संचालक मण्डल बैठक दिनांक 03.09.2014 एवं आमसभा दिनांक 25.09.2014 में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश क्रमांक : 7137-60 दिनांक 03.09.2014 प्रसारित किया गया। तादिनांक सूचना तक एस.ए.डब्लू 936/2010 का रिस्टोरेशन हुई एवं इसका निस्तारण हो चुका है, जिसमें राज्य सरकार को आर्थिक भार के लिए दायित्व मुक्त किया गया है।</p>		
24	24	<p>संघ के उत्पादन विभाग द्वारा प्रयुक्त अन्य पैकेजिंग सामग्री के विवरण बाबत :-</p> <p>संघ की गत आडिट रिपोर्टों व वार्षिक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि उत्पादन विभाग द्वारा पैकिंग मैटिरियल बाबत कोई स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वास्तविक स्थिति प्रकट नहीं होती है। संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में करवाये गये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट का अवलोकन किया।</p>	<p>अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है। धारा 55 के प्रकरण पर कार्यवाही संस्थापन विकास अधिकारी, आरसीडीएफ जयपुर के स्तर पर करवाई जा रही है।</p>	<p>पूर्ति नहीं हुई है।</p>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		वर्ष 2009-10 में पैकिंग मैटेरियल पर 26336361.17 व्यय हुए हैं। ऑडिट अवधि में पैकिंग मैटेरियल पर 19070547.21 व्यय हुए हैं। गत ऑडिट रिपोर्ट में गत वर्षों में खरीदे गये तथा उपयोग किये गये पैकिंग मैटेरियल में आ रहे अन्तर बाबत प्रकरण की जाँच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत करवायी जानी प्रस्तावित की गई थी। प्रबन्धन इस व्यवस्था में भविष्य में सुधार सुनिश्चित करें। वर्तमान में उक्त दोनो वर्षों की जाँचो का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उचित कार्यवाही अतिशीघ्र अपेक्षित है।		
	25	संघ के उत्पादों की लाभदायकता का विवरण :- संघ स्तर पर अलग से इस बाबत कोई रिकॉर्ड संधारित नहीं है। इस बाबत संघ प्रबन्धन को सुझाव दिया जाता है कि उत्पादवार लाभदायकता का विवरण प्रतिवर्ष लेखे तैयार करते समय संधारित करने की परिपाटी शुरू की जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
(40)	26	भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण उरमूल डेयरी बीकानेर के क्रियाकलापों के बाबत एक प्रकरण 154/10 "विरुद्ध अधिकारीगण उरमूल डेयरी बीकानेर" भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय बीकानेर में विचाराधीन है। इसमें लेबर खर्च, हैडलोड व्यय, सेल्स प्रमोशन व्यय, चीज कमीशन व्यय, आदि से सम्बन्धित प्रकरण शामिल है। जिसकी प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	जांच लम्बित है
	27	स्थाई सम्पतियों के भौतिक सत्यापन बाबत :- 27.1 संस्था के भण्डार में स्थाई सम्पतियों के लिए संधारित रिकार्ड में विभिन्न स्थाई सम्पतियों को विभिन्न अनुभागो/विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों के नाम से जारी किया बताया हुआ है। संस्था वित्तीय वर्ष के समापन पर भौतिक सत्यापन तो करवा रही है परन्तु जो स्थाई सम्पति विभिन्न अनुभागो/विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों के नाम जारी की गई है, का भौतिक सत्यापन नहीं करवा रही है, जिसके फलस्वरूप स्थाई सम्पति वास्तविक रूप से है या नहीं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः प्रबन्धन को यह सुझाव दिया जाता है कि वो अपने स्तर पर भौतिक सत्यापन करवाये जाने हेतु एक कमेटी बनाये जो सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करे और प्रबन्धन इस	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति आंशिक मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		पर उचित कार्यवाही अतिशीघ्र करे।		
	27.2	27.2 श्री राजेश कुमार बुगालिया को न्यायालय के अधि निर्यण की अनुपालना में जो वेतन भुगतान दिनांक 19.06.2010 को किया गया वह भुगतान लगभग 2.80 लाख रु का तत्कालीन प्रबन्ध संचालक के द्वारा बिना विधिक राय के किया गया था। जिसकी बाद में दिनांक 30.04.2011 को विधिक राय लेकर दिनांक 17.06.2011 को पुनः वसूली प्रति माह निम्नतम राशि में से करने के आदेश जारी किये गये है। इस प्रकार संस्था द्वारा श्री बुगालिया को अनुचित लाभ देते हुए अतिरिक्त बडी राशि का भुगतान कर दिया जिससे संस्था की कार्यशील पुँजी अनअवश्यक रूप से रूक गई। उपरोक्त अनअवश्यक रूप से किये भुगतान के फलस्वरूप एवं वसूली स्नेह-स्नेह एवं न्यूनतम मात्रा में होने से संस्था को उक्त रकम पर ब्याज की हानि हो रही है। अतः उक्त प्रकरण के लिए तत्कालीन प्रबन्ध संचालक एवं कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध इस बाबत प्रकरण की जाँच पिछले वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत करवायी जानी प्रस्तावित की गई थी। जिसकी प्रगति रिपोर्ट अंकेक्षण वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं हुई है। अतः उक्त प्रकरण की जांच शीघ्र करवाई जाने का सुझाव दिया जाता है।	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है। धारा 55 के प्रकरण पर कार्यवाही संस्थापन विकास अधिकारी, आरसीडीएफ जयपुर के स्तर पर करवाई जा रही है।	पूर्ति नहीं हुई है।
28	28	विशेष विवरण एवं सुझाव :- 1. संघ का डेयरी संयंत्र :- संघ का संयंत्र लगभग 30 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है इसके आधुनीकीकरण की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है इसके अभाव में संघ के उत्पादन की क्षमता प्रभावित हुई है तथा पुरानी तकनीक एवं मशीनरी के कारण उत्पादन लागत भी अनावश्यक रूप से बढी है जिससे संघ को अपने व्यवसाय में वाछित लाभ नहीं हो रहा है चूँकि स्थायी खर्चे लगातार बढ रहे है और इसी अनुपात में वर्ष दर वर्ष संघ में सकल हॉनि भी बढती जा रही थी। डेयरी संयंत्र के आधुनीकीकरण के लिए बीकानेर जिले में संचालित सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.) से धन प्राप्त करने की कार्यविधी तैयार की जावे। इस योजना में आवंटित अधिकांश धनराशि अनुदान मद की होती है। 2. निष्क्रिय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के समस्त रिकार्ड, कैन, कार्यवाही रजिस्टर आदि निष्क्रियता से पूर्व संघ स्तर पर हस्तान्तरित किये जाकर संघ कार्यालय में रखा जावे। इसी प्रकार किसी	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक/सुझावात्मक टिप्पणी है। अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है। पूर्ति नहीं हुई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		भी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति के नये सचिव के कार्य करने की स्थिति में भी पूर्व सचिव से समिति का समस्त रिकार्ड, कैन व अन्य प्रदत्त सामग्री सघ स्तर पर हस्तान्तरित कर नवीन सचिव को सौंपी जावे । 3.कैन बकाया :- निष्क्रिय समितियों की तरफ कुल कितने दुग्ध कैन बकाया है इसकी सूचना संघ स्तर पर बार-बार माँगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई है, जोकि तैयार करवायी जाकर संबंधित समितियों से कैन वापस प्राप्त करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है । 4. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर की अधिकांश अचल सम्पतियां आर.सी.डी.एफ. में गिरवी रखी गई है । 5. पैकिंग मैटेरियल कि खपत का उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ों से मिलान की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है । 6. दुग्ध संकलन में वृद्धिके लिए अपनाई गई दुग्ध खरीद मूल्य नीति निर्धारण पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है । 7. उरमूल डेयरी, बीकानेर जो कि अमूल डेयरी, गुजरात के बाद उत्तरी भारत की एक प्रमुख दुग्ध डेयरी है, वर्तमान में बन्द होने के कगार पर है । सरकार/विभाग स्तर से प्रभावी पहल की जाकर संघ के लिये विशेष कार्य योजना व आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है ताकि क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों उपभोक्ताओं व संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों का भविष्य सुरक्षित रह सकें । 8. संस्था को खर्चों (लेबर खर्च, चीज कमीशन व्यय और वाहन खर्च) पर कठोर नियंत्रण रखना अपेक्षित है । 9. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के खातों का मिलान काफी लम्बे अर्से से नहीं करवाया जा रहा है । संघ को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 10. संघ को विधिक मामलो में सहायता प्राप्त करने में हुई अनावश्यक देरी से हुई हानि के लिए संबंधित जाँच अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का सुझाव है ।	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी सुझावा अनुसार आकड़ों का मिलान किया जा रहा है । अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है । अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है । संघ समितियों के खातों का संधारण इकाई स्तर पे करता है । अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है ।	पूर्ति नहीं हुई है । पूर्ति मान्य है । पूर्ति मान्य है । पूर्ति उचित है । पूर्ति उचित है । पूर्ति मान्य है । मूर्ति उचित है । पूर्ति नहीं हुई है ।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

ऑडिट आक्षेप पत्र 2014-15 भाग 'ब'

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 की अनुपालना रिपोर्ट भाग 'ब'

पंजीयन क्रमांक : 579/ एफ पंजीयन दिनांक 29.08.1972

ऑडिट अवधि : 01.04.2014 से 31.3.2015

नाम वर्तमान अंकेक्षक : एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

(43)

क्र. सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
1.	2	संघ प्रबन्धन द्वारा गत ऑडिट रिपोर्टों के मुख्य आक्षेपों की पूर्ति की गई है। ब भाग की अनुपालना की जानी अपेक्षित है।	ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के भाग-अ एवं ब की अनुपालना कर अंकेक्षक की टिप्पणी करवाकर संघ की आमसभा क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर 2013, दिनांक 25 सितम्बर 2014 एवं 4 नवम्बर, 2015 में रखी जाकर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।	पूर्ति उचित है।
2.	3	सहकारिता विभाग व आरसीडीएफ के अधिकारियों द्वारा संघ का निरीक्षण नहीं किया है।	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति मान्य नहीं है।
3.	6	ऑडिट अवधि में संघ की आम सभा की बैठक दिनांक 25.09.2014 को बुलाई गई है।	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी है।	पूर्ति उचित है।
4.	9 (2)	स्टाफ स्ट्रेन्थ की समीक्षा की जावें।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति उचित है।
5.	10	संघ द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु आरसीडीएफ नॉन वर्क में सर्विस रेगुलेशन को संघ में अंगीकार कर रखा है।	अंकेक्षक महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति उचित है।
6.	11.2	गत वर्षों में जारी किये गये तदर्थ पदोन्नति आदेश को पी.सी. के द्वारा दिनांक 19.03.2015 को तद्विनांक से माना गया है। अतः नियमानुसार धारा 57 में वसूली की उचित कार्यवाही की जावें।	संघ की संस्थापन समिति बैठक दिनांक 19.03.2015 में पदोन्नति प्रभावी दिनांक 19.03.2015 से किये जाने के कारण वर्ष 2008-09 में की गई तदर्थ पदोन्नति आदेशों को निरस्त कर दिया गया है।	धारा 57 की वसूली वांछनीय है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
7.	11.3	छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने बाबत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की समुचित पैरवी की जाकर निर्णय शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
8.	12	कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएँ अपूर्ण हैं, जिन्हें पूर्ण किया जावे तथा अन्य बिन्दुओं पर टिप्पणी अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझाव अनुसार कर्मचारियों की जो सेवा पुस्तिका अपूर्ण थी, उन्हें पूर्ण कर दिया गया है।	पूर्ति उचित है।
9.	14	दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त श्रमिकों के ठेकेदार से श्रमिकों के पी0एफ0 व ई0एस0आई0 जमा करवाने का प्रमाण पत्र लिया जावे।	संघ की संस्थापन शाखा द्वारा श्रमिक ठेकेदार से पी0एफ0 व ई0एस0आई0 के जमा करवाये जाने का शपथ पत्र एवं जमा कराये गये चालान की प्रति प्राप्त की जाती है।	पूर्ति उचित है।
10.	15	विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समीक्षा की जाकर उनके शीघ्र निपटारे के प्रयास किये जाने अपेक्षित है।	संघ के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 14.08.2013 में समीक्षा की गई है एवं संघ का पक्ष मजबूती से रखने का निर्णय लिया गया है।	पूर्ति मान्य है।
11.	20	सदस्य रजिस्टर अपूर्ण है, शीघ्र ही तातारीख पूर्ण किया जावे।	अंकेक्षक महोदय के सुझावानुसार रजिस्टर तैयार किया जा रहा है।	पूर्ति मान्य है।
12.	21	हिस्सा रजिस्टर तातारीख पूर्ण कर हिस्सा राशि मद की राशि का संतुलन चित्र से मिलान किया जावे।	अंकेक्षक महोदय के सुझावानुसार मिलान कार्य किया जा रहा है।	पूर्ति मान्य है।
13.	22	हिस्सा अग्रिम मद में जमा राशि का मिलान कर राशि का संबंधित समितियों की हिस्सा राशि में समायोजन किया जावे। टिप्पणी अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जावे।	संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार किया जा रहा है।	पूर्ति मान्य है।
14.	23	सदस्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किये जावे।	वर्ष 2011-12 तक के हिस्सा प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये हैं।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
15.	24.1	लेबर चार्जेज के बिलो को प्रमाणित करने का लिखित आधार विधिवत् रूप से रखा जावे। एवं सही सही प्रमाणिकरण किया जावे।	अंकेक्षक महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
16.	24.2	मिल्कशेड के भीतर यात्रा करने पर दैनिक भत्ता देय नहीं है। इसकी पालना में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को समान समझा जावे।	संचालक मण्डल में लिये गये निर्णय अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।	पूर्ति उचित है।
17.	24.4	यात्रा भत्ता बिलों के साथ यात्रा हेतु अधिकृत करने के आदेश की प्रति संलग्न नहीं की जाती है।	संबंधित अधिकारी जो कार्मिक को यात्रा पर भेजने के आदेश देते हैं के द्वारा यात्रा का प्रमाणीकरण किया जाता है।	पूर्ति मान्य है।
18.	24.4.1	वाहन व्यय में कमी लाने के लिए कार्ययोजना बनाई जाकर कुशलता पूर्वक लागू की जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
19.	24.4.2	गैराज अनुभाग का प्रभारी योग्यता अनुसार बनाया जाना चाहिए।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
20.	25.2	काफी संख्या में प्रस्तावित दुग्ध समितियां संघ के अंतर्गत दुग्ध संकलन केन्द्र के रूप में कार्य कर रही है। इन प्रस्तावित समितियों का संचालन राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 6 के प्रावधानों के विपरीत किया जा रहा है। टिप्पणी अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जावे।	प्रस्तावित दुग्ध समितियों का पंजीयन करवाया जाता है।	सम्पूर्ण कार्यवाही वांछनीय है।
21.	25.3	संघ प्रबन्धन ने संघ का दुग्ध संकलन बढ़ाने अथवा अन्य कारणों से अन्य पंजीकृत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में दुग्ध संकलन केन्द्र या प्रस्तावित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संचालन की स्वीकृति दे रखी है। संघ प्रबंधन द्वारा सहकारिता के उद्देश्यों एवं भावनाओं के अनुसार दुग्ध समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए।	अंकेक्षक महोदय द्वारा संदर्भित आदेशों को प्रबन्ध संचालक राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि० जयपुर ने आदेश क्रमांक एफ-14 (221) आरसीडीएफ/आई.डी./2013/9548-9612 दिनांक 30.08.2013 को वापस ले लिया गया है।	पूर्ति मान्य है।
22.	30	फैट तथा एसएनएफ की हानि में गत वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी न हो इस हेतु अथक प्रयास किया जावे जिससे हानि को निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत रखा जा सके।	अंकेक्षक महोदय की सुझावा अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।	पूर्ति मान्य है।
23.	35	दूध खरीद लागत में कमी के प्रयास किये जाने अपेक्षित है।	निजी प्रतिस्पर्धा के चलते दुग्ध खरीद दर का निर्धारण किया जाता है।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
24.	36.2	वर्ष 2010-11 अवधि में हैड लोड मद में भुगतान की गई राशि 70.17 लाख प्रकरण की जांच राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में प्रस्तावित की गयी थी, जिसकी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कि जावें।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	धारा 55 की जांच रिपोर्ट आने तक पूर्ति मान्य नहीं है।
25.	37	अधिकारियों को दिये गये मोबाइल रिचार्ज कूपन की सुविधा पर पुर्नविचार किया जाना अपेक्षित है। टेलिफोन रजिस्टर तातारीख पूर्ण किये जावे।	अंकेक्षक महोदय के सुझावानुसार समय-समय पर पुर्नविचार किया जाता है।	पूर्ति मान्य है।
26.	39	वाहनो पर खर्च में नियन्त्रण किया जावे। अनुपयोगी वाहनो की नियमानुसार नीलामी की जावे तथा बिना वाहन की लागबुक में प्रविष्टि किये वाहन पर हुये किसी भी खर्च का भुगतान नहीं किया जावे।	वाहनो पर खर्च नियंत्रण गैरेज अनुभाग द्वारा किया जाता है। नियमानुसार वाहन खर्चों का भुगतान लॉगबुक में इन्द्राज होने पर ही किया जाता है तथा अनुपयोगी वाहनो/ स्क्रेप/ कबाड़ का निस्तारण वित्तीय वर्ष 2010-11 से लगातार किया जा रहा है।	पूर्ति मान्य है।
27.	40.2	बजट व वास्तविक खर्चों में कोई तालमेल नहीं है। संघ का बजट आरसीडीएफ द्वारा वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत निर्धारित/स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। संघ को भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अधिक हुए खर्चों की स्वीकृति आगामी आमसभा से प्राप्त की जावे।	आरसीडीएफ लि. जयपुर द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुसार बजट से अधिक हुए खर्चों की स्वीकृति संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा में ली जाती है।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
28.	53	सण्डी डटर्स की अवधिपार राशि 2229034.72 का संदेहात्मक/बट्टा खाता कोश प्रावधान नहीं किया गया है। सण्डी डेटर्स में पुरानी बकाया की वसूली की ठोस कार्यवाही की जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	आंशिक पूर्ति मान्य है।
29.	57	संस्थापन व्यय में कमी लाई जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति मान्य है।
30.	58	संध एक उत्पादक इकाई है अतः संध में लागत लेखांकन की समुचित व्यवस्था की जावे तथा समस्त उत्पादों की प्रति यूनिट लागत की गणना समुचित रूप से निरन्तर की जावे।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति मान्य है।
31.	60	ऑडिट रिपोर्ट में इस बाबत प्रकरण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में जांच हेतु प्रस्तावित किया गया था। इस बाबत कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अतः जांच परिणाम अभी भी अपेक्षित है।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	धारा 55 की जांच रिपोर्ट आने तक मान्य नहीं है।
32.	61.1	आर्मी द्वारा चीज सप्लाय मद में कटोती की गई राशि 892874.72 के प्रकरण की जांच राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत करवाई जानी प्रस्तावित की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	पूर्ति वांछनीय है।
33.	62	चीज अनुबन्ध पेटे आर्मी द्वारा जब्त की गई प्रतिभूति राशि रु. 45.29 लाख के प्रकरण में श्री जीवन प्रभाकर पूर्व प्रबन्ध संचालक के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57 में मामले दर्ज करने की अभिपंशा की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऑडिट लिखे जाने	संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ लि., जयपुर द्वारा सहकारी अधिनियम, 2001 की धारा 57 पर निर्णयादेश क्रमांक	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी	
		तक जो सूचना प्राप्त हुई, उसका विवरण रिपोर्ट में दर्ज है।	: 26068-70 दिनांक 23.09.2014 को कर दिया गया है। निर्णयानुसार पूर्व प्रबंध संचालक श्री जीवन प्रभाकर को आरोप मुक्त कर दिया गया है।		
34.	63	वर्ष 2010-11 अवधि में पैकिंग मैटेरियल मद में भुगतान की गई राशि 190.70 लाख प्रकरण की जांच राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में प्रस्तावित की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	पूर्ति वांछनीय है।	
(48)	35.	67	गत वर्षों में आडिट अवधि में चीज कमीशन मद में भुगतान की गई राशि 4.24 लाख प्रकरण की जांच राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 में प्रस्तावित की गयी थी। प्रगति रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	धारा 55 की जांच रिपोर्ट आने तक मान्य नहीं है।
	36.	69	श्री राजेश कुमार बुगालिया को किये गये भुगतान पर जांच राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत करवायी जानी प्रस्तावित की थी। परन्तु आज दिनांक इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।	इस प्रकरण पर अंकेक्षक महोदय ने राजस्थान सहाकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 में जांच प्रस्तावित की गयी जिस पर कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी आरसीडीएफ लि0 जयपुर के स्तर से की जा रही है।	धारा 55 की जांच रिपोर्ट आने तक पूर्ति मान्य नहीं है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
37.	70	संघ प्रबन्धन आडिट रिपोर्ट में अंकित विशेष विवरण एवम् सुझावों पर कारगर कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे।	उक्त सुझावों की अनुपालनाओं का विवरण अंकेक्षक अनुपालना वर्ष 2014-15 की अनुपालना रिपोर्ट भाग-अ में यथास्थान अंकित किया गया है।	पूर्ति मान्य है।

एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

उप प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

प्रबन्ध संचालक